भारत सरकार | **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | **अतारांकित प्रश्न सं० 1456**

दिनांक 28 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय उत्पादों का निर्यात

1456 डॉ कृष्ण पाल सिंह यादवः

श्रीमती संध्या रायः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन सभी भारतीय उत्पादों के नाम क्या हैं, जिनके संबंध में सरकार द्वारा आने वाले वर्षों में उनका निर्यात करने के लिए योजना तैयार की जा रही है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आयात किए जाने वाले कुछ उत्पादों का भारत में ही विनिर्माण कर उनके आयात की मात्रा में कमी की जा सकती है अथवा उनका आयात पूर्ण रुप से बंद किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ भारतीय उत्पादों के उत्पादन स्तर और गुणवत्ता में वृद्धि करके उनके निर्यात में वृद्धि की जा सकती है अथवा उनका निर्यात आरंभ किया जा सकता है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्ससंबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे उत्पादों की संख्या कितनी है, जो मध्य प्रदेश से संबद्ध हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ड.): निर्यात की क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं को देश के सभी जिलों में जिलों को निर्यात हब बनाने की पहल के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य के जिलों सहित जिलों में चिन्हित उत्पादों और सेवाओं का विवरण **अनुलग्नक** पर दिया गया है।

जिला निर्यात कार्य योजनाओं में चिन्हित उत्पादों को पर्याप्त मात्रा और अपेक्षित गुणवत्ता के साथ उत्पादित/विनिर्मित करने तथा भारत के बाहर संभावित खरीदारों तक पहुंचने में स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए अपेक्षित विशिष्ट कार्रवाइ को चिन्हित करना शामिल है। इसमें चिन्हित उत्पादों/सेवाओं के निर्यात हेतु पेश आने वाली चुनौतियों को चिन्हित कर समाधान करना, आपूर्ति श्रखला, बाजार पहुंच को बेहतर बनाना तथा निर्यात में वृद्धि हेतु सहयोग प्रदान करना शामिल है।

चूंकि जिलों को निर्यात हब बनाने की पहल के अंतर्गत फोकस चिन्हित उत्पादों के निर्यात में वृद्धि पर केन्द्रित होगा, इसलिए इनमें से कुछ उत्पादों के विनिर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी। उत्पादन में वृद्धि करने तथा उत्पादों के गुणवत्ता मानकों को बेहतर करने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए निर्यातकों और विनिर्माताओं हेतु एक अनुकूल वातावरण तैयार करने में सहायता प्राप्त होगी।

अनुलग्नक

दिनांक 28 जुलाई, 2021 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1456 के उत्तर हेतु संदर्भित विवरण

चिन्हित उत्पाद एवं सेवाओं की जिला–वार सूची

क्र सं.	राज्य	जिलों के नाम	निर्यात क्षमता वाले चिन्हित उत्पाद/सेवाएं
1.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	रेडीमेड गारमेंट्स (जीन्स, टी–शर्ट, ट्राउजर आदि), एमएस स्टील ट्यूब (एमएस पाइप, जीआई पाइप आदि), ऑटोमोबाइल (कार, इंजन आदि), केला, अनार, आंध्र प्रदेश चमड़ा कठपुतली, धर्मवरम हैंडलूम पट्टू साड़ी और पावदासी
2.		चित्तूर	पॉलिश ग्रेनाइट और ग्रेनाइट स्मारक, कपड़ा और वस्त्र, आम और फलों का गूदा, आम, श्रीकालहस्ती कलमकारी, तिरुपति लड्डू
3.		पूर्वी गोदावरी	कॉयर और कॉयर उत्पाद, चावल, चीनी, जमे हुए श्रिम्प, कॉयर फाइबर और कॉयर पीठ, उप्पदा जामदानी साड़ी
4.		गुंटूर	तंबाकू, सूती धागे, मिर्च, हल्दी, कपड़ा, गुंटूर सन्नम मिर्च
5.		कृष्णा	सूती धागे, चादरें, ग्रे कपड़ा, बल्क ड्रग्स और इंटरमीडिएट, प्रसंस्कृत झींगा, मोटिव पॉवर बैटरी, हर्बल उत्पाद, मछली और मछली उत्पाद, आम, कोंडापल्ली खिलौने
6.		कुरनूल	हाइड्रोजनीकृत अरंडी का तेल, हाइड्रोक्सी स्टेरिक एसिड, कास्टिक सोडा फ्लेक्स, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड फ्लेक्स, कैल्शियम हाइपो क्लोराइड, अनार, आम
7.		प्रकाशम	ग्रेनाइट (ब्लॉक गैलेक्सी, स्टील ग्रे, ब्लॉक पर्ल), एक्वा उत्पाद, काजू उत्पाद
8.		एसपीएसआर नेल्लोर	उदयगिरी लकड़ी की कटलरी, क्वाट्र्ज, फेल्डस्पार, प्रसंस्कृत झींगा/श्रिम्प, चावल
9.		श्रीकाकुलम	काजू गिरी, ग्रेनाइट, फार्मा उत्पाद
10.		विजयनगरम	बल्क ड्रग्स और इन्टर्मीडीएरीज, काजू प्रसंस्करण, सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री, क्वाट्र्ज ग्रिट्स और सिलिका पाउडर, बॉबबिली वीना
11.		विशाखापत्तनम	नारियल आधारित उत्पाद, मिश्र धातु के पहिये, काजू, काली मिर्च, समुद्री खाद्य पदार्थ, हल्दी, शहद, हस्तशिल्प जैसे एटिकोपक्का खिलौने, खनिज और खनिज आधारित उत्पाद (एपेटाइट, क्रिस्टलीय चूना पत्थर, क्वाट्र्ज, वर्मीक्यूलाइट, सफेद मिट्टी, रूबी, मीका, कैल्साइट, लाल) और पीला गेरू), सिल्वर ओक की लकड़ी, अराकू कॉफी, जिंजर पाउडर, एटिकोप्पाका खिलौने
12.		पश्चिम गोदावरी	कपास यार्न, प्रसंस्कृत झींगे/श्रिम्प, एक्वा फ़ीड, मानव बाल, एस्पिरिन, सिरेमिक, सेनेटरीवेयर उत्पाद, काजू, कॉयर पिथ, कॉफी, क्रोशिया लेस फीता उत्पाद
13.		वाईएसआर कडपा (कुडप्पाह)	बेरियम क्लोराइड, पोर्टलैंड सीमेंट, केला
14.	असम	बक्सा	चावल, चाय, बांस, केला, मछली
15.		बारपेटा	पारंपरिक असमिया आभूषण, नारियल, केला, गोस्ट चिली मिर्च, चावल
16.		बिश्वनाथ	मछली, चावल, मिर्च, केला, बांस
17.		बोंगईगांव	कला–शिल्प हथकरघा, केला, तेल, अदरक, मिर्च

18.		कछार	बांस, मिर्च, चावल, केला, चाय
19.		चराइदेव	अनानास, अदरक, केला, चावल, चाय
20.		चिरांग	बांस, चाय, केला, मिर्च, चावल
21.		दरांग	चाय, मछली, चावल, केला, मिर्च
22.		धेमाजी	मिर्च, चाय, बांस, मछली, केला
23.		धुबरी	बांस, चाय, केला, मछली, चावल, टेराकोटा खिलौने
24.		डिब्रूगढ़	चावल, चाय, बांस, केला, मछली
25.		दीमा हसाओ	अदरक, अनानास, संतरा, चाय, चावल
26.		गोलपाड़ा	केला, स्ट्रॉबेरी उत्पाद, चाय, मछली, चावल,
27.		गोलाघाट	अदरक, अनानस, चावल, केला, बांस
28.		हैलाकांडी	रेशम उत्पादन, बेंत, चावल, मिर्च, केला
29.		होजै	चावल, चाय, बांस, मछली, अदरक
30.		जोरहाट	केला, चावल, मिर्च, मछली, चाय
31.		कामरूप (एम)	पारंपरिक असमिया आभूषण, घरेलू साज सामान, एरी, मुगा और असम रेशम से बने फैशनेबल वस्त्र आइटम, अगरबत्ती, सीमेंट, केला
32.		कामरूप (आर)	प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर, आयुर्वेदिक दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स, मच्छर प्रतिरोधी, स्टील फर्नीचर, मिर्च
33.		कार्बी आंगलोंग	असम कार्बी आंगलोंग अदरक, अनानस, हल्दी, राजा मिर्च (भुटजोलोकिया), सेब
34.		करीमगंज	मिर्च, मछली, चावल, केला, बांस
35.		कोकराझारी	मूगा रेशम, बांस, चावल, चाय, अदरक, मिर्च
36.		लखीमपुर	वन्यजीव, केला, चावल, मिर्च, अदरक
37.		माजुलिक	कृषि, हथकरघा, मछली, चावल, केला
38.		मोरीगांव	मक्का/मक्का का उत्पाद, एरी/उत्पाद एरी रेशम, पैट मुगा रेशम, जल जलकुंभी उत्पाद, केला
39.		नगांव	जोहा चावल, मसालाः स्टोन फ्लावर, कैसिया तोरा, काली इलायची, अन्य मसालेः तेज पत्ता, काली मिर्च के बीज, दालचीनी की छड़ें, गोस्ट चिली (भूत जोलोकिया), वन्यजीव
40.		नलबाड़ी	मछली, चाय, बांस, अदरक, अनानास
41.		शिवसागरी	बांस, चावल, केला, अदरक, मिर्च
42.		सोनितपुर	तेजपुर लीची, बांस, चाय, केला, मिर्च, चावल
43.		दक्षिण सलमारा मनकाचार	बांस, चाय, केला, मिर्च, अदरक
44.		तिनसुकिया	चाय, नींबू, गोस्ट चिली (भूत जोलोकिया), वन्यजीव, केला
45.		उदलगुड़ी	वन्यजीव, पर्यटन, केला, मिर्च, अनानास
46.		पश्चिम कार्बी आंगलोंग	सेब, असम कार्बी आंगलोंग, अदरक, चाय, पारंपरिक आभूषण, बांस
47.	**अरुणाचल प्रदेश**	अंजाव	कीवी, सेब, अनानास, चावल, बांस
48.		चांगलांग	कीवी, सेब मेरे–वूल, मिर्च, अदरक
49.		दिबांग घाटी	सेब, कीवी, चाय, अदरक, बोल्डर
50.		पूर्वी कामेंग	अदरक, अनानस, चूना पत्थर, सीमेंट, मिर्च
51.		पूर्वी सियांग	नींबू, हल्दी, पत्थर, पारंपरिक आभूषण, सेब
52.		कमले	कीवी, हल्दी, चावल, अदरक, मिर्च
53.		क्रा दादि	कीवी, सेब, चाय, चावल, केला
54.		कुरुंग कुमेयू	कीवी, ऑर्किड, बांस, अदरक, सेब
55.		लेपा राडा	सेब, कीवी, अनानास, चावल, मिर्च
56.		लोहित	कीवी, केला, अनानास, बोल्डर, अदरक
57.		लॉन्गडिंग	कीवी, सेब, मिर्च, अनानास, केला

58.		निचली दिबांग घाटी	कीवी, केला, सेब, बांस, अदरक
59.		निचला सियांग	सेब, अनानस, बोल्डर, चूना पत्थर, सीमेंट
60.		निचला सुबनसिरी	चावल, बांस, मिर्च, केला, मछली
61.		नामसाई	अनानास, अदरक, बांस, सेब, कीवी
62.		पक्के केसांग	एन्थ्यूरियम, बांस, बोल्डर, चाय, मिर्च, चावल, अदरक, सेब
63.		पापुम पारे	सेब, कीवी, अनानास, अदरक, चावल
64.		शी योमी	सेब, मिर्च, केला, अदरक, अनानास
65.		सियांग	सेब, ऑर्किड, अनानास, चावल, मछली
66.		तिरप	कीवी, चाय, चूना पत्थर, सीमेंट, मिर्च
67.		तवांग	सेब, अदरक, केला, मिर्च, चावल
68.		ऊपरी सुबनसिरी	पारंपरिक आभूषण, बांस, अनानास, अदरक, बोल्डर
69.		अपर सियांग	सेब, चावल, मछली, चाय, अदरक
70.		पश्चिम कामेंग	ऑर्किड, अनानस, केला, मिर्च, चाय
71.		पश्चिम सियांग	बांस, एन्थोरियम, मिर्च, सेब, कीवी
72.	**बिहार**	अररिया	जूट, मखाना
73.		अरवाली	बेकरी उत्पाद
74.		औरंगाबाद	चावल
75.		बांका	रेशम
76.		बेगूसराय	आम, लीची, मक्का, सोयाबीन, दुग्ध उत्पाद
77.		भागलपुर	भागलपुर सिल्क, भागलपुरी जरदालू, चावल (कटरानी), मंजूषा पेंटिंग
78.		भोजपुर	चावल
79.		बक्सर	चावल
80.		दरभंगा	मखाना, मधुबनी पेंटिंग
81.		गया	पर्यटन
82.		गोपालगंज	गन्ना, चीनी, गुड़, मशरूम, पर्यटन
83.		जमुई	गारमेंट्स
84.		जहानाबाद	फुटवेअर
85.		कैमुरो	गोविंद भोग चावल, सीमेंट, चावल, चावल की भूसी का तेल
86.		कटिहार	जूट, मखाना, चावल
87.		खगरिया	जूट, मखाना, मक्का, दुग्ध उत्पाद, आम, मछली, केला
88.		किशनगंज	जूट
89.		लखीसराय	चावल, रेडीमेड गारमेंट्स
90.		मधेपुरा	मखाना, मक्का, धान
91.		मधुबनी	मधुबनी चित्रकला
92.		मुंगेर	तंबाकू उत्पाद, मेंथा, शहद
93.		मुजफ्फरपुर	बिहार की शाही लीची, लाहठी
94.		नालंदा	पर्यटन
95.		नवादा	चीनी
96.		वेस्ट (पश्चिम) चंपारण	लकड़ी के फर्नीचर, रेडीमेड गारमेंट्स
97.		पटना	फार्मा, खाद्य प्रसंस्करण
98.		पूर्वी चंपारणी	चावल (कटरानी और सोनाचूर), सीप बुटन, मछली, चीनी, मोती की खेती
99.		पूर्णिया	जूट उत्पाद
100.		रोहतास	सीमेंट, पर्यटन
101.		सहरसा	आम, लीची, मक्का
102.		समस्तीपुर	चीनी, जूट, हल्दी पाउडर, बांस की हस्तशिल्प वस्तुएं

103.		सरनी	आम
104.		शेखपुरा	प्याज, दाल
105.		सोहर	चावल
106.		सीतामढ़ी	पर्यटन
107.		सिवान	कृषि आधारित उत्पाद, मेंथा और औषधीय पौधे
108.		सुपौल	जूट, कृषि आधारित उत्पाद, मखाना
109.		वैशाली	कोल्ड ड्रिंक, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, बिस्किट और बेकरी
110.	**छत्तीसगढ़**	बालोद	चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, आम, फूलगोभी, पिजन पीज।
111.		बलौदा बाजार	चावल, मक्का, कबूतर मटर, लैथिलस।
112.		बलरामपुर	चावल, ज्वार, मक्का, आलू।
113.		बस्तर	बस्तर लौह शिल्प, चावल, ज्वार, मक्का, आलू।
114.		बेमेतरा	चावल, ज्वार, मक्का, पिजन पीज, सोयाबीन, आम।
115.		बीजापुर	चावल, ज्वार, मक्का, पिजन पीज, सोयाबीन, आम।
116.		बिलासपुर	मक्का, दालें, चावल, गेहूं, तिल।
117.		दंतेवाड़ा (दक्षिण बस्तर)	चावल, मक्का, फिंगर बाजरा, नाइजर।
118.		धमतरी	मूंग, काला चना, मूंगफली, तिल।
119.		दुर्गा	चावल, ज्वार, पिजन पीज, काला चना, सोयाबीन।
120.		गरियाबंद	चावल, पिजन पीज, सरसों – सफेद सरसो, मूंगफली।
121.		गोरेला पेन्ड्रा मड़वाही	चावल, पिजन पीज, सरसों – सफेद सरसो, मूंगफली।
122.		जांजगीर–चंपा	चावल, सफेद सरसो, आम, फूलगोभी।
123.		जशपुर	आलू, गेहूं, जौ, तेल की फसल।
124.		कबीरधाम	चावल, आम, केला, फूलगोभी, पत्ता गोभी।
125.		कांकेर	चावल, गेहूं, पिजन पीज, हरा चना।
126.		कोंडागांव	चावल, आम, फूलगोभी, पत्ता गोभी, बैगन।
127.		कोरबा	मक्का, दालें (सभी प्रकार), चावल, सोयाबीन।
128.		कोरिया	मक्का, दालें (सभी प्रकार), चावल, सोयाबीन।
129.		महासमुंद	मूंग, उलिड, मूंगफली, तिल, मक्का।
130.		मुंगेलिक	चावल, पिजन पीज, हरा चना, काला चना, मक्का।
131.		नारायणपुर	चावल, मटर के दाने, काले चने, आम।
132.		रायगढ़	चावल, अरहर मटर, चना, चना, मूंगफली।
133.		रायपुर	चावल, मक्का, सोयाबीन, आम।
134.		राजनंदगांव	चावल, मक्का, सोयाबीन, आम।
135.		सुकमा	चावल, पिजन पीज, ज्वार, मक्का, बाजरा।
136.		सुरजपुर	चावल, ज्वार, मक्का, आलू।
137.		सरगुजा	चावल, ज्वार, मक्का, आलू।
138.	**गोवा**	उत्तरी गोवा	काजू, फार्मास्यूटिकल्स, पर्यटन और मत्स्य पालन, खोला मिर्च, फेनी
139.		दक्षिण गोवा	फार्मास्यूटिकल्स, पर्यटन और मत्स्य पालन, खोला मिर्च, फेनी
140.	**गुजरात**	अहमदाबाद	कपड़ा, रसायन, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक
141.		अमरेली	मूंगफली
142.		आनंद	डेयरी अमूल, अगेट्स ऑफ कैम्बे, इंजीनियरिंग, कृषि
143.		अरावली	खनिज, कृषि–प्रसंस्करण, कांच और टाइलें, महीन ईंटें, कपड़ा
144.		बनासकांठा (पालनपुर)	कृषि प्रसंस्करण, साइलियम भूसी, आलू, डेयरी, तेल और तेल डेरिवेटिव (अरंडी, मूंगफली तेल सहित)
145.		भरूच	रसायन, केला

146.		भावनगर	इन्वेस्ट्मेन्ट कास्टिंग, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद (निर्जलित सब्जियां और मूंगफली का मक्खन)
147.		बोटाड	मूंगफली
148.		छोटा उदयपुर	सांखेड़ा फर्नीचर, फर्नीचर, वन उत्पाद
149.		डैंग (अहवा)	रासायनिक और कागज, आम, समुद्री उत्पाद
150.		देवभूमि द्वारका	समुद्री और मत्स्य पालन
151.		दाहोद	कृषि
152.		गांधीनगर	इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण,
153.		गिर सोमनाथ	सॉफ्टवेयर, वित्तीय सेवाएं, रसायन
154.		जामनगर	जामनगरी बंधनी, पीतल की वस्तुएं
155.		साबरकांठा (हिम्मतनगर)	सिरेमिक और टाइलें, रसायन, कृषि और डेयरी प्रसंस्करण, सेनेटरी वेयर
156.		जूनागढ़	आम
157.		खेड़ा (नाडियाड)	कृषि, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ
158.		कच्छ	आम, हस्तशिल्प कच्छ कढ़ाई और शॉल, पर्यटन (रण उत्सव), रसायन और नमक, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री सेवाएं, समुद्री उत्पाद
159.		मेहसाणा	कृषि–प्रसंस्करण (बीज/मसाले), कागज और कागज आधारित उत्पाद, डेयरी, खनिज, मशीनरी
160.		महिसागर	कृषि
161.		मोरबी	सिरेमिक आइटम
162.		नर्मदा (राजपिप्ला)	वन उत्पाद, पर्यटन, केला
163.		नवसारी	चिकित्सा उपकरण, आम, समुद्री उत्पाद
164.		प्चमहल (गोधरा)	कृषि, प्लास्टिक
165.		पाटन	कृषि, लकड़ी आधारित उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, मसाले, ग्रेनाइट, पाटन, पटोला, अरंडी
166.		पोरबंदर	समुद्री और मत्स्य उद्योग
167.		राजकोट	इंजीनियरिंग सामान, राजकोट पटोला
168.		सूरत	कपड़ा, केला, सूरत जरी शिल्प, अनार
169.		सुरेंद्रनगर	तंगलिया शॉल, कताई उद्योग
170.		तापी	कृषि उत्पाद (चावल, मूंगफली, फल, भिंडी)
171.		वडोदरा	फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग
172.		वलसाड	रासायनिक और कागज, आम, समुद्री उत्पाद
173.	**हरियाणा**	अंबाला	चावल और वैज्ञानिक उपकरण, कृषि
174.		भिवानी	कृषि
175.		चरखी दादरी	कृषि
176.		फरीदाबाद	ऑटो कंपोनेंट्स, लाइट और इंजीनियरिंग सामान
177.		फतेहाबाद	कृषि
178.		गरूग्राम (गुडगाँव)	होम फर्निशिंग और इंजीनियरिंग सामान
179.		हिसार	फ्लैट स्टील उत्पाद (इंजीनियरिंग क्षेत्र)
180.		झज्जर	फुटवियर क्लस्टर
181.		जींद	कृषि
182.		कैथल	कृषि
183.		करनाल	बागवानी और चावल
184.		कुरुक्षेत्र	कृषि/पर्यटन
185.		महेंद्रगढ़	कृषि
186.		नूह	कृषि
187.		पलवल	कृषि/उद्योग

188.		पंचकुला	कृषि
189.		पानीपत	हथकरघा, कालीन, कपड़ा
190.		रेवाड़ी	उद्योग हब
191.		रोहतक	इंजीनियरिंग आइटम
192.		सिरसा	कृषि
193.		सोनीपत	इंडस्ट्रीज
194.		यमुनानगर	प्लाईवुड, रसोई के बर्तन
195.	**हिमाचल प्रदेश**	बिलासपुर	मसाले, पर्यटन
196.		चंबा	पर्यटन, हस्तशिल्प, चंबा रुमाली
197.		हमीरपुर	पर्यटन, कृषि उत्पाद
198.		कांगड़ा	अचार, जैम स्क्वैश, कांगड़ा चाय, कांगड़ा पेंटिंग, पर्यटन
199.		किन्नौर	हिमाचली चुल्ली तेल (खुबानी का तेल), पर्यटन, बागवानी, किन्नौरी शॉल
200.		लाहौल और स्पीति	पर्यटन, लकड़ी पर नक्काशी
201.		कुल्लू	पर्यटन, बागवानी, डेयरी उत्पाद, कुल्लू शॉल
202.		मंडी	मसाले, पर्यटन, बागवानी, फूलों की खेती, हस्तशिल्प
203.		शिमला	पर्यटन, हिमाचली चुल्ली तेल
204.		सिरमौर (सिरम्योर)	बागवानी
205.		सोलन	मशरूम, पर्यटन, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा धागा
206.		ऊना	अचार, जाम स्केश, पर्यटन, अभियांत्रि की वस्तुएं, प्रसंस्कृत वस्तुएं
207.	**झारखंड**	बोकारो	इस्पात उत्पाद
208.		चतरा	सब्जियां
209.		देवगढ़	लाख चूड़ियाँ, चावल
210.		धनबाद	आग रोक उत्पाद
211.		दुमका	बांस शिल्प
212.		पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)	ऑटो घटक
213.		जामताड़ा	बांस शिल्प, काजू
214.		गढ़वा	कालीन
215.		गिरिडीह	आग रोक उत्पाद
216.		गोड्डा	लेमन ग्रास
217.		गुमला	अचार
218.		हजारीबाग	सक्रिय बॉक्साइट, कांस्य बर्तन
219.		खुंटी	लाख, आग रोक आइटम
220.		कोडरमा	सब्जियां
221.		लातेहारे	मधु
222.		लोहरदगा	शहद, सब्जियां, रागी
223.		पाकुर	स्टोन चिप्स
224.		पलामू	पल्स अरहर
225.		रामगढ़	रेफ्रेक्ट्रीज, टीएमटी बार्स, स्वीट पोटैटो
226.		रांची	चावल, आग रोक आइटम, स्नेहक और परिधान
227.		साहेबगंज	स्टोन चिप्स
228.		सरायकेला खरसावां	ऑटो घटक
229.		सिमडेगा	पपीता, कटहल
230.		पश्चिमी सिंहभूमि	सब्जियां
231.	**कर्नाटक**	बागलकोट	अनार, अंगूर (थॉम्पसन सीडलेस, रेड ग्लोब, शरद सीडलेस), सपोटा और हल्दी, किशमिश, जैविक गुड़, चीनी, मक्का, पर्यटन (बादामी, ऐहोल, पट्टाडकल, कूडलसंगम)

232.		बेलगावी (बेलगाम)	गेहूँ, जैविक गुड़, चीनी, किशमिश, लोहे की ढलाई, औद्योगिक कास्टिंग, हाइड्रोलिक दबाव उपकरण, पंप और वाल्व सहायक उपकरण, इंजीनियरिंग घटक, एयरोस्पेस घटक), कोल्हापुरी चैपल, हल्दी, दूध आधारित मूल्य वर्धित उत्पाद। अनार
233.		बेल्लारी (बेल्लारे)	ग्रेनाइट, जींस पंत, परिधान जूट उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, विद्युत मशीनरी और परिवहन उपकरण, इंजीनियरिंग/लौह अयस्क आधारित मूल्यवर्धित उत्पाद, अनार, मिर्च
234.		बेंगलुरु ग्रामीण,	मशीन टूल्स, बैंगलोर ब्लू ग्रेप्स, बैंगलोर रोज़ प्याज, वाइन, अमरूद का गूदा, सब्जियां और फूल, रेडीमेड वस्त्र, इंजीनियरिंग/एयरोस्पेस/ऑटोमोबाइल, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, रेशम, पौधे/जैव अर्क, फार्मास्युटिकल उत्पाद
235.		बेंगलुरु अर्बन	प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सब्जियां और फूल, इंजीनियरिंग मशीन टूल्स/ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स/एयरोस्पेस कंपोनेंट्स/प्रेसिजन कंपोनेंट्स, अर्थ मूविंग मशीनरी, रक्षा विनिर्माण, विद्युत मशीनरी, आदि, ईएसडीएम उत्पाद। फार्मा और बायोटेक, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, बैग्स और पैकजिंग उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट्स/टेक्सटाइल्स। सेवाएं–अस्पताल/स्वास्थ्य/कल्याण/शैक्षिक, इंजीनियरिंग सेवाएं, वैश्विक अनुसंधान एवं विकास, विनिर्माण के लिए हब/वैश्विक विकास केंद्र, आईटी/आईटीईएस।
236.		बीदर	बिदरीवेयर, बल्क ड्रग्स, हरा चना और सोयाबीन उत्पाद, हैंड पेपर, क्राफ्ट पेपर, अदरक, पपीता, आम (दशेरी और केसर) कमलापुर केला, अदरक, पर्यटन
237.		चामराजनगर	हल्दी, केला, अदरक, शहद, आम (अल्फांसो), रेशमी वस्त्र, काला ग्रेनाइट
238.		चिक्कबल्लपुर	बैंगलोर रोज़ प्याज, बैंगलोर ब्लू अंगूर, आम (अल्फांसो, मल्लिका, रसपुरी और बेनिशान), खीरा और टमाटर सहित सब्जियां।
239.		चिक्कमगलुरु	चिकमगलूर अरेबिका कॉफी, स्पेशलिटी कॉफी (वैल्यू एडेड आइटम) (अरेबिका और रोबस्टा), काली मिर्च (पन्नियूर), गेरकिंस, शहद, ककड़ी के बीज, पर्यटन
240.		चित्रदुर्ग	एलईडी लाइट्स, अनार, मूंगफली, छोटे बाजरा और प्याज, मोलाकलमुर सिल्क साड़ी, मक्का ग्रिट, पर्यटन
241.		दक्षिण कन्नड़	काजू (उल्लल 1,2,3) और मसाले, समुद्री उत्पाद, जैक फ्रूट, प्लास्टिक घटक, लाइट इंजीनियरिंग (ऑटो घटक, इलेक्ट्रिकल, प्लास्टिक मशीनरी आदि), पर्यटन, मूल्य वर्धित प्लास्टिक आइटम (बुने हुए बोरे/एफआईबीसी), ऑप्टिकल आइटम, मोल्डड और एक्स्ट्रैक्टेड आइटम, पैकेजिंग आइटम, प्लास्टिक घटक।
242.		दावनगेरे	चावल, मक्का, सब्जी, माइनर मिलेट (रागी, नवाने) और मूल्य वर्धित उत्पाद, सुपारी मूल्य वर्धित उत्पाद / प्लेट, चीनी, गेंदे के फूल का अर्क, गेरकिन, फाउंड्री उत्पाद, ईंधन ब्रिकेट (मक्का बायोमास आधारित)
243.		धारावाड़	आम (अल्फांसो), भिंडी, हरा चना, काला हरा चना, औद्योगिक वाल्व, ऑटो घटक, खीरा, मैंगो पल्प, धारवाड़

			पेड़ा, नवलगुंड कालीन, कर्नाटक कसुती, स्वीट कॉर्न बेबी कॉर्न, फल और सब्जियां, प्रसंस्कृत फल और सब्जी उत्पाद।
244.		गदग	प्याज, मिर्च, मक्का, मूंगफली के बीज, मूंगफली, दालें, हरा चना,
245.		हसन	चावल, कॉफी, स्पेशलिटी कॉफी (वैल्यू एडेड आइटम), मसाले, आलू और आलू के मूल्य वर्धित उत्पाद, अदरक, कॉयर, सक्रिय कार्बन, काली मिर्च, ककड़ी के बीज, पर्यटन
246.		हावेरी	ब्यादगी मिर्च, मिर्च, आम (अलफांसो) मक्का मूल्य वर्धित उत्पाद
247.		कलबुर्गिक (गुलबर्गा)	सौर पैनल, इनवर्टर, कैपेसिटर आदि, तूर दाल और दालें, कमलापुर लाल केला, फुलर्स अर्थ (बेंटोनाइट क्ले), कपास और मूल्य वर्धित उत्पाद।
248.		कोडागू	कॉफी, स्पेशलिटी कॉफी (वैल्यू एडेड आइटम), कूर्ग मंदारिन, मसाले, एन्थ्यूरियम और आर्किड, इलायची, काली मिर्च, शहद, पर्यटन
249.		कोलार	आम (थोथापुरी, मल्लिका, बनशान और अल्फांसो), टमाटर, रंग शिमला मिर्च, बाजरा रागी, गुलाब प्याज, सब्जियां, आम का गूदा, प्रसंस्कृत दालें/मसाले/अनाज, इंजीनियरिंग (दुरुस्ती संघटक), एयरोस्पेस और रक्षा घटक, ऑटोमोबाइल, फोन, परिधान।
250.		कोप्पल	प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, चावल, आम (केसर और अल्फांसो), अमरूद गुलाबी, पपीता, अनार, किन्हल खिलौने
251.		मंड्या	केला, जैविक/रासायनिक मुक्त गुड़, चीनी, रागी और छोटे बाजरा, रेडीमेड वस्त्र, सब्जियां और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, शहद, कोडियाला सिल्क साड़ी, कटहल, पपीता, आम, नारियल
252.		मैसोर (मैसूर)	इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड, अनार, मैसूर सिल्क, मैसूर अगरबत्ती, मैसूर रोज़वुड इनले, मैसूर सैंडलवुड ऑयल, मैसूर सैंडल सोप, मैसूर ट्रेडिशनल पेंटिंग्स, मैसूर सुपारी, मैसूर मल्लिगे, मैसूर, केला, स्वीट कॉर्न और मसालों के गंजीफा कार्ड, सुपारी, रेशम, रेशम के वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पाद (मशीन उपकरण, ऑटो घटक, चिकित्सा उपकरण, पीसीबी, ईएसडीएम क्लस्टर उत्पाद), नंजनगुड केला, मैसूरपैक (मीठा), ईरानगरेब्रिंजल, हस्तशिल्प, चंदन साबुन, अगरबत्ती, चमेली/आवश्यक तेल और इत्र, प्रसंस्कृत भोजन , गुड़, पर्यटन।
253.		रायचुर	चावल, अनार, अंजीर, कपास, फार्मा उत्पाद, मिर्च
254.		रामनगर	चन्नापट्टन खिलौने और गुड़िया, कॉयर उत्पाद, लकड़ी आधारित शिल्प उत्पाद और लकड़ी के रसोई के सामान, ऑटो घटक, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, एफएमसीजी, ग्रेनाइट, हर्बल आयुर्वेदिक उत्पाद, आम (अल्फांसो), रागी, बेबीकॉर्न, बाजरा, सब्जी और फूलों के बीज, लाख के खिलौने
255.		शिवमोगा (शिमोगा)	अदरक, केला, सुपारी मूल्य वर्धित उत्पाद, मसाले (काली मिर्च और इलायची), अनानस, सुपारी का पत्ता कप/प्लेट, ऑटो घटक/कास्टिंग, रेडीमेड वस्त्र, मक्का और मूल्य वर्धित उत्पाद, हस्तशिल्प वस्तु
256.		तुमकुरु (तुमकुर)	नारियल, अनार, इमली और छोटे बाजरा, मशीन टूल्स,

			ऑटोमोबाइल घटक, कॉयर बोर्ड, कॉयर पिथ, जियोटेक्सटाइल्स, टफेड कॉयर, रबरयुक्त कॉयर, सक्रिय कार्बन, खीरा, इमली के उत्पाद, आम और पपीते का गूदा, नारियल का सूखा पाउडर, सुपारी के पत्ते के उत्पाद
257.		उडुपी	समुद्री उत्पाद, उडुपी मल्लिगे, उडुपी मट्टूगुल्ला बैंगन, उडुपी साड़ी, काजू, चावल (कग्गा), उडुपी चमेली
258.		उत्तर कन्नड़ (कारवार)	कोनाना कट्टे, तरल गुड़ (गन्ना), काजू और समुद्री उत्पाद, मसाले, कटहल, हल्दी, सुपारी और इसके मूल्य वर्धित उत्पाद।
259.		विजयपुरा (बोजापुर)	अनार, कागजी चूना और अंगूर, किशमिश, पर्यटन।
260.		यादगोर	बाजरा, चावल, अरहर, कपास
261.	**केरल**	अलपुझा	कॉयर उत्पाद
262.		एर्नाकुलम	वज़हकुलम अनानस, चेन्दमंगलम धोती और सेट मुंडू, पोक्कली चावल, कैपाद चावल, समुद्री उत्पाद, मसाला उत्पाद, रासायनिक उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद
263.		इडुक्की	मालाबार काली मिर्च, मरयूर गुड़, मसाला उत्पाद, पर्यटन
264.		कन्नूरी	कन्नानोर होम फर्निशिंग, पय्यानुर पवित्रा रिंग, कैपद चावल, कपड़ा, हथकरघा
265.		कासरगोड	खाद्य उत्पाद
266.		कोल्लम	काजू उत्पाद
267.		कोट्टायम	रबर उत्पाद
268.		कोझिकोड	मानसूनी मालाबार अरेबिका और रोबस्टा कॉफी, मालाबार काली मिर्च, फुटवियर उत्पाद
269.		मलप्पुरम	नीलांबुर सागौन, तिरूर सुपारी (तिरुर) वेट्टीला), खाद्य उत्पाद
270.		पलक्कड़	पलक्कड़न मटका चावल, नवारा चावल, पलक्कड़ का मदालम, इंजीनियरिंग उत्पाद, खाद्य उत्पाद
271.		पथानामथिट्टा	पर्यटन सेवाएं
272.		तिरुवनंतपुरम	केला, चिकित्सा उपकरण
273.		त्रिशूर	केला, मशीनरी, हस्तशिल्प
274.		वायनाड	मालाबार काली मिर्च, केला, वायनाड जीराकसला चावल, वायनाड गंधकशाला चावल, वायनाड रोबस्टा कॉफी, मसाला उत्पाद, चाय, कॉफी
275.	**मध्य प्रदेश**	मालवा अगर	संतरा
276.		अलीराजपुर	हस्तनिर्मित आभूषण, मक्का, नूरजहां आम
277.		अनूपपुर	तिल के बीज, कास्टिक सोडा, स्ट्रॉबेरी
278.		अशोकनगर	चंदेरी साड़ी, ज्वैलरी बॉक्स
279.		बालाघाटी	मैंगनीज, बॉक्साइट,
280.		बड़वानी	कपास, मिर्च, फल, पर्यटन, अदरक, केला
281.		बेतुल	गुड़, इमारती लकड़ी, खाद्य प्रसंस्करण, चावल, कपास
282.		भिंड	सरसों, चॉकलेट, एल ई डी
283.		भोपाल	फार्मा उत्पाद, भारी बिजली के सामान और टर्बाइन।
284.		बुरहानपुर	अनार, केला और केला फाइबर, तिलहन, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा
285.		छतरपूर	हस्त निर्मित शिल्प
286.		छिंदवाड़ा	संतरा
287.		दमोह	प्याज, लकड़ी का फर्नीचर, दालें

288.		दतिया	कच्चा सूत और सूत, काला चना, गेहूँ
289.		देवास	फार्मा उत्पाद, मशीनरी पुर्जे
290.		धार (पितमपूर)	एफआईबीटी प्लास्टिक उत्पाद, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, अन्य इंजीनियरिंग उत्पाद, वस्त्र, बाग प्रिंट, सीताफल, सोयाबीन
291.		डिंडोरी	लोहे और बांस की हस्तशिल्प, आयुर्वेदिक विनिर्मितियां
292.		गुना	जूट बैग, खनिज या रासायनिक उर्वरक
293.		ग्वालियर	आलू, दरी, रबर के टायर, ट्रांसफार्मर के घटक
294.		हरदा	गेहूं का आटा, सागौन की लकड़ी, मूंग दाल, ताड़ के पत्ते की वस्तुएँ। गेहूं और संबंधित उत्पाद
295.		होशंगाबाद	कपड़े, हस्तशिल्प वस्तुएं
296.		इंदौर	प्याज, आलू, कागज और कागज उत्पाद, फार्मा, परिधान और इंजीनियरिंग, इंदौर के चमड़े के खिलौने,
297.		जबलपुर	रेडीमेड गारमेंट्स और होजरी, हरी मटर और दाल, आईटीईएस, कृषि उत्पाद, संगमरमर उत्पाद, पर्यटन
298.		झाबुआ	मक्के का फर्श, बाँस से बनी टोकरियाँ, नीम, सफ़ेद मुसली (औषधीय पौधे या पत्ती)
299.		कटनी	ईंटें, कृत्रिम आभूषण
300.		खरगोन	अनार, कपास कच्चा, मिर्च। कॉटन बेल्स, कॉटन यार्न, सबमर्सिबल पंप, छोला, पीपी बैग, नॉनवॉवन बैग। जंबो बैग, खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी
301.		खंडवा	अनार
302.		मंडला	कोडो–कुटाकी, डोलोमाइट उत्पाद, पर्यटन, हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद, पारिस्थितिक पर्यटन
303.		मन्दसौर	प्याज, लहसुन और अन्य सब्जियां (ताजी और ठंडी)
304.		मुरैना	लकड़ी आधारित, धातु की मूर्तियां, खाद्य तेल
305.		नरसिंहपुर	सोया तेल, आम, "पिटल" हस्तशिल्प, गुड़ (गुड़)
306.		नीमच	धनिया के बीज, लहसुन, अश्वगंधा, चमड़े की बेल्ट, गिलोय
307.		निवारी	ग्लास फाइबर, सोया बीन तेल और उसके अंश
308.		पन्ना	शिल्प
309.		रायसेन	चावल और कृषि उत्पाद।
310.		राजगढ़	डोलोमाइट, सिसल क्राफ्ट, स्टील शीट और गैर–मिश्र धातु इस्पात;
311.		रतलाम	काबुली चना, मूंगफली, कपास, सोयाबीन और उसके उत्पाद, स्ट्रॉबेरी आदि और संबंधित कृषि उत्पाद, रतलामी सेव, सोना, लहसुन
312.		रेवा	ऑप्टिकल फाइबर केबल, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर टर्बाइन, सीमेंट
313.		सागर	प्याज, टायर, पेट्रोरसायन, पर्यावरण पर्यटन
314.		सतना	फुटवेअर, सीमेंट, विद्युत संधारित्र, प्याज
315.		सीहोर	गेहूं का आटा, कृषि उपकरण, पनीर, कपड़ा, रेडीमेड वस्त्र
316.		सिवनी	काला पत्थर, चावल, खोवा, कपास
317.		शाहडोल	मिट्टी, कागज उत्पाद
318.		शाजापुर	संतरा
319.		श्योपुर	इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक, शहद
320.		शिवपुरी	आयरनवर्क्स, टेक्सटाइल्स, वन उत्पाद, कृषि उत्पाद, मूंगफली, जैकेट्स
321.		सीधी	दरी, चमड़े की पट्टी, अरहर दाल, महुआ, कटहल प्रसंस्करण

			(कथल) और आम
322.		सिंगरौली	वाटर जेल और इमल्शन विस्फोटक
323.		टीकमगढ़	दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल वेयर, सिरेमिक वस्तुएं
324.		उज्जैन	शिल्प, चीनी मिट्टी की मूर्तियाँ और मूर्तियां
325.		उमरिया	बांस शिल्प, सोया, पारिस्थितिक पर्यटन
326.		विदिशा	शरबती गेहूं, चना, हथकरघा कपड़ा, जूट
327.	**महाराष्ट्र**	अहमदनगर	विद्युत उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, अनार
328.		अकोला	सूती धागे, दवाएं/औषध, सूती दरियां, रासायनिक उर्वरक
329.		अमरावती	संतरा
330.		औरंगाबाद	इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग सेवाएं, पैठानी साड़ी और कपड़े, मराठवाड़ा केसर आम, बीड कस्टर्ड सेब
331.		बीड	कपास, खाद्य तेल, दालें, कपड़ा उत्पाद, बीड कस्टर्ड सेब
332.		भंडारा	चावल, मैंगनीज अयस्क, संपीड़न के साथ माल के परिवहन के लिए मोटर वाहन (ट्रक और लॉरी)
333.		बुलढाना	कपास कच्चे, पिजन पीज, प्लास्टिक के रबर के लिए मिश्रित प्लास्टिसाइज़र
334.		चंद्रपुर	सीमेंट, कागज, लौह अयस्क
335.		धुले	केला, तेल केक, कपड़ा, खाद्य तेल, फैटी एसिड, कृषि और वन आधारित उत्पाद
336.		गडचिरोली	लाख की चूड़ियाँ (कांच के मोती, नकली मोती, नकली कीमती या अर्ध कीमती पत्थर और इसी तरह का कांच), रेशम के बुने हुए कपड़े, कच्चा डोलोमाइट कैलक्लाइंड या सिंटरित नहीं
337.		गोंदिया	चावल की भूसी का तेल, बेंत या चुकंदर चीनी
338.		हिंगोली	सूती धागा, बेंत या चुकंदर चीनी, गोंद, केला, चीनी मिट्टी के बरतन, हल्दी
339.		जलगांव	जलगाँव केला, जलगाँव भरित बैंगन
340.		जलना	हाइब्रिड सीड्स, ऑयल एंड डी–ऑयल केक, रेरोल स्टील्स, टीएमटी बार्स, बिलेट्स, कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, जालना स्वीट ऑरेंज
341.		कोल्हापुर	कृषि उत्पाद। चमड़ा और इंजीनियरिंग सामान, केला, कोल्हापुर गुड़, कोल्हापुरी चप्पल
342.		लातूर	कृषि उत्पाद
343.		मुंबई शहर	रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, कपड़ा, चमड़ा, प्लास्टिक, वित्तीय सेवाएं और लेखा और लेखा परीक्षा सेवाएं, कानूनी सेवाएं, परिवहन और रसद सेवाएं, प्रबंधन परामर्श सेवाएं
344.		मुंबई उपनगरीय	रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, कपड़ा, चमड़ा, प्लास्टिक, वित्तीय सेवाएं और लेखा और लेखा परीक्षा सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस), संचार सेवाएं (ऑडियो विजुअल सर्विसेज – मोशन पिक्चर और वीडियो टेप उत्पादन और वितरण सेवा), प्रबंधन परामर्श सेवाएं, इंजीनियरिंग सेवाएं
345.		नागपुर	नागपुर संतरा, मूंगफली का तेल, एल्युमिनियम शीट, गन्ना चीनी, कपास यार्न
346.		नांदेड़	कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ

347.		नंदुरबारी	गन्ना चीनी, एथिल अल्कोहल, कस्टर्ड और सेब
348.		नासिक	कृषि उत्पाद, विद्युत उत्पाद, औषधि आदि, नासिक अंगूर, प्याज, नासिक घाटी शराब, लासलगांव प्याज
349.		उस्मानाबाद	कृषि उत्पाद
350.		पालघर	रसायन, "चीकू" (सपोडिला), फार्मास्यूटिकल्स, लौह और इस्पात और इंजीनियरिंग उत्पाद, कपड़ा, प्लास्टिक से संबंधित, मत्स्य पालन, समुद्री और खाद्य प्रसंस्करण, फल और सब्जियां, वारली पेंटिंग (हस्तशिल्प) फोकस सेवाएं – पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं, परिवहन और रसद सेवाएं
351.		परभनी	कृषि उत्पाद
352.		पुणे	पुरंधर अंजीर, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग सामान, कृषि उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, अनार, अंगूर
353.		रायगढ़	आयरन एंड स्टील उत्पाद, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, मत्स्य पालन, समुद्री और खाद्य प्रसंस्करण, गणेश मूर्ति (हस्तशिल्प), परिवहन और रसद सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस), पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं
354.		रत्नागिरी	समुद्री, कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, आम, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी कोकुम
355.		सांगली	कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, अंगूर, सांगली किशमिश, सांगली हल्दी
356.		सतारा	कृषि उत्पाद, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, वाघ्य घेवड़ा
357.		सिंधुदुर्ग	मत्स्य पालन, फल, रसायन, पर्यटन, समुद्री उत्पाद, आम, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी कोकुम
358.		सोलापुर	कपड़ा और कृषि उत्पाद, केमशाफ्टस, केला, सोलापुर अनार, सोलापुर चादर, सोलापुर टेरी तौलिया, मंगलवेधा ज्वार
359.		थाने	रसायन, प्लास्टिक से संबंधित, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, कपड़ा, प्लास्टिक से संबंधित, परिवहन और संभार तत्र सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस), संचार सेवाएं (ऑडियो विजुअल सर्विसेज – मोशन पिक्चर और वीडियो टेप उत्पादन और वितरण सेवा), प्रबंधन परामर्श सेवाएं, इंजीनियरिंग सेवाएं
360.		वर्धा	संतरा
361.		वाशिम	हस्तशिल्प उत्पाद, सिंथेटिक फिलामेंट्स के सूती धागे सूती के वजन वाले
362.		यवतमाल	डेनिम, तेल रहित केक, सिंथेटिक फिलामेंट्स के सूती धागे सूती के वजन वाले
363.	**मणिपुर**	बिष्णुपुर	जूट, भूतजोलकिया, चूना पत्थर, अदरक, अनानास, खिलौने और गुड़िया, मछली उत्पाद
364.		चंदेल	अदरक, केला, भूतजोलकिया, अनानास, जूट
365.		चुराचनपुर	अनानास, केला, अदरक, चूना पत्थर, जूट
366.		इंफाल पूर्व	वांगखेई फी, भूतजोलकिया, जूट, अदरक, अनानास, चूना पत्थर, खिलौने और गुड़िया, हथकरघा,
367.		इंफाल पश्चिम	वांगखेई फी, अदरक, जूट, भूतजोलकिया, केला, अनानास, खिलौने और गुड़िया, हथकरघा, मछली उत्पाद
368.		जिरीबाम	चूना पत्थर, जूट, भूतजोलकिया, अनानास, अदरक, नारियल

369.		काकचिंग	अनानास, अदरक, चूना पत्थर, संतरा, केला, काला चावल
370.		कामजोंग	केला, अदरक, चूना पत्थर, संतरा, अनानस, किंग मिर्च
371.		कांगपोकपी	भूतजोलोकिया, अनानास, जूट, चावल, संतरा, हल्दी
372.		नोनी	केला, चूना पत्थर, अदरक, चावल, अनानास
373.		फेरज़ावली	अनानास, जूट, अदरक, चावल, बांस
374.		सेनापति	अदरक, जूट, चूना पत्थर, अनानास, केला, कीवी
375.		तामेंगलांग	चूना पत्थर, जूट, अदरक, भूतजोलकिया, अनानास, संतरा
376.		टेंग्नौपाल	जूट, अनानास, अदरक, बांस टहनी, केला
377.		थौबल	अदरक, जूट, भूतजोलकिया, चूना पत्थर, चावल, अनानास
378.		उखरूल	चूना पत्थर, जूट, अदरक, भूतजोलकिया, अनानास, कचाई नींबू
379.	**मेघालय**	पूर्वी गारो हिल्स	अदरक, नींबू, अनानस, बांस, बोल्डर
380.		पूर्वी जयंतिया हिल्स	मंदारिन ऑरेंज, नींबू, हल्दी, सीमेंट, चूना पत्थर
381.		पूर्वी खासी हिल्स	तेज पत्ता, मैंडरिन संतरा, चूना पत्थर, संतरा, अदरक
382.		उत्तरी गारो हिल्स	मंदारिन अंग, नींबू, हल्दी, चूना पत्थर, चाय
383.		री–भोई	अदरक, अनानास, मछली, चाय, सीमेंट
384.		दक्षिण गारो हिल्स	अदरक, बांस, चावल, मछली, केला
385.		दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स	अनानस, अदरक, चूना पत्थर, सीमेंट, बोल्डर
386.		दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स	तेज पत्ता, अदरक, चूना पत्थर, बांस, मिर्च,
387.		वेस्ट गारो हिल्स	अदरक, मंदारिन संतरा, नींबू, केला, अनानस
388.		पश्चिम जयंतिया हिल्स	मंदारिन, नींबू, हल्दी, बांस, केला
389.		पश्चिम खासी हिल्स	तेज पत्ता, मैंडरिन ऑरेंज, रॉक्स, राइस, बोल्डर
390.	**मिजोरम**	आइजोल	बांस, एंथुरियम, ऑर्किड, संतरा, मिज़ो मिर्च
391.		चम्फाई	अनानस, रेशम, मछली, ऑर्किड, संतरा
392.		हनहथियाल	एन्थ्यूरियम, ऑर्किड, संतरा, मछली, बांस
393.		ख्वाजाव	ऑर्किड, मछली, एन्थ्यूरियम, संतरा, बांस
394.		कोलासिबो	ऑर्किड, मछली, एन्थ्यूरियम, संतरा, मिज़ो मिर्च
395.		लॉगटलाई	ऑर्किड, मछली, एन्थ्यूरियम, संतरा, अनानास
396.		लुंगलेई	बांस, एंथुरियम, ऑर्किड, संतरा, रेशम, अनानास
397.		मामित	बांस, एंथुरियम, ऑर्किड, संतरा, रेशम, अनानास
398.		सैहा	मिजो मिर्च, बांस, एंथुरियम, ऑर्किड, संतरा, रेशम, अनानास
399.		सेरछिप	बांस, एंथुरियम, ऑर्किड, संतरा, रेशम, अनानास
400.		सैतुअल	बांस, एंथुरियम, ऑर्किड, संतरा, रेशम, अनानास
401.	**नागालैंड**	दीमापुर	एन्थ्यूरियम, ऑर्किड, बांस, केला, चावल
402.		किफायर	नागा मिर्च, बूट जोलोकिया, मछली, बोल्डर, अनानास
403.		कोहिमा	नागा मिर्च, अदरक, ऑर्किड, पर्यटन, संतरा
404.		लॉन्गलेंग	पर्यटन, अदरक, ऑर्किड, बांस, चावल
405.		मोकोकचुंग	पर्यटन, अदरक, अनानास, इलायची, ऑर्किड
406.		मोन	सब्जियां, अदरक, संतरा, ऑर्किड, केला
407.		पेरेन	चाय, औषधीय जड़ी बूटी, पारंपरिक आभूषण, ऑर्किड, नागा मिर्च
408.		फेक	हथकरघा उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद, अदरक, बांस, अनानास
409.		तुयेनसांग	एन्थ्यूरियम, ऑर्किड, अदरक, अनानस, चावल
410.		वोखा	अदरक, संतरा, चाय, मछली, अनानास
411.		जुन्हेबोटो	चाय, अदरक, ऑर्किड, एन्थोरियम, नागा मिर्च
412.		नोक्लाक	हथकरघा उत्पाद, ऑर्किड, चूना पत्थर, सीमेंट, अदरक

413.	**उड़ीसा**	अंगुल	एल्यूमिनियम पिंड, स्टील सिल्लियां
414.		बालंगीर	कपास, प्याज
415.		बालासोर	टायर, कागज और नालीदार बक्से
416.		बारगढ़	हथकरघा
417.		भद्रक	चावल, मछली
418.		बौध	हथकरघा पट्टा साड़ी
419.		कटक	चांदी के तंतु का सामान, मणिबंध का हथकरघा
420.		दवगढ	तरबूज, संतरा, लीची
421.		ढेंकनाल	हस्तशिल्प, काजू
422.		गजपति	चावल, काजू कार्नेल, ग्रेनाइट स्लैब, हल्दी का तेल
423.		गंजम	गंजम केवड़ा रूह, गंजम केवड़ा फूल, हथकरघा, काजू, ग्रेनाइट स्लैब
424.		जाजपुर	पत्थर पर नक्काशी/हस्तशिल्प
425.		जगतसिंहपुर	प्लास्टिक उत्पाद
426.		झारसुगुड़ा	एल्यूमिनियम पिंड, मिर्च और अदरक बेप
427.		कालाहांडी	हस्तशिल्प (लकड़ी पर नक्काशी)
428.		कंधमाली	कंधमाल हल्दी, हल्दी
429.		केंद्रपाड़ा	सुनहरी घास उत्पाद
430.		केन्डूझार	खनिज पदार्थ
431.		खोरधा (भुवनेश्वर)	समुद्री उत्पाद
432.		कोरापुट	काजू
433.		मल्कानगिरी	ग्रेनाइट स्लैब, हल्दी, बाजरा, प्रसंस्कृत मछली
434.		मयूरभंजी	चावल
435.		नवरंग गंज	मक्का
436.		नयागढ़	पीतल और बेल धातु
437.		नुआपाड़ा	कपास और प्याज
438.		पुरी (पिपिली)	पिपली अप्लीक वर्क, हैंडीक्राफ्ट (पट्टचित्र) और समुद्री उत्पाद
439.		रायगरा	कपास इमली
440.		संबलपुर	संबलपुरी बंध साड़ी और कपड़े एल्यूमिनियम पिंड और मिर्च
441.		सुबर्णापुर	बोम्केई साड़ी और कपड़े (जीआई टैग)
442.		सुंदरगढ़ (राउरकेला)	(रिफ्रेक्टरी सीमेंट)
443.	**पंजाब**	अमृतसर	पर्यटन, चावल, कंबल, शॉल
444.		बरनाला	टेरी तौलिया, कपास, सूती धागे, कृषि उपकरण,
445.		बठिंडा	किन्नू, कपड़ा
446.		फरीदकोट	चावल
447.		फतेहगढ़ साहिब	री–रोल्ड स्टील सिल्लियां, होजरी, कृषि उपकरण, गुड़, रोलिंग मिल के पुर्जे, सिलाई मशीन के पुर्जे
448.		फाजिल्का	चावल, किन्नू
449.		फिरोजपुर	चावल
450.		गुरदासपुर	खराद मशीन, हल्दी पाउडर, मांस, गुड़
451.		होशियारपुर	प्राकृतिक शहद, ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के पुर्जे, आलू
452.		जालंधर	खेल के सामान, प्राकृतिक शहद, हाथ के औजार, आलू
453.		कपूरथला	आलू के बीज, चावल, डीजल इंजन के पुर्जे, ऑटो के पुर्जे, आलू
454.		लुधियाना	रेडीमेड गारमेंट्स, होजरी, शर्ट्स और टी–शर्ट्स, वूलन यार्न, बेकरी, हैंड टूल्स, साइकिलें

455.		मनसा	कृषि उपकरण, झींगा, कपास
456.		मोगा	चावल, कृषि उपकरण
457.		पठानकोट	चावल, लीची
458.		पटियाला	फुलकारी, काटने के उपकरण, अमरूद
459.		रूपनगर	धार्मिक/पर्यावरण पर्यटन, किन्नू, शहद, आलू, मक्का ड
460.		साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर/मोहाली	फार्मास्यूटिकल्स और आईटी क्षेत्र, पंजाबी मनोरंजन
461.		संगरुर	चावल, गेहूं, मशरूम, वनस्पति तेल, ठंडा रोल, कृषि उपकरण, बैजिज।
462.		नवाशहर (शहीद भगत सिंह नगर)	दालें, चावल, फार्मास्यूटिकल्स, मटर, आलू
463.		मुक्तसर	कागज, चावल, झींगा, कृषि उपकरण।
464.		तरनतारन	शहद, किन्नू, सूती धागे, नाशपाती
465.	**राजस्थान**	अजमेर	बैग, मसाले, वस्त्र, संगमरमर और कृषि उत्पाद
466.		अलवेर	इंजीनियरिंग उत्पाद
467.		बांसवाड़ा	सिंथेटिक यार्न, फैब्रिक, मार्बल टाइलें
468.		बरनी	सोयाबीन और अन्य कृषि उत्पाद
469.		बाड़मेर	इसबगोल, ग्वार गम
470.		भरतपुर	कृषि उत्पाद और सेवा निर्यात
471.		भीलवाड़ा	कपड़ा और डेनिम
472.		बीकानेर	ऊन, खाद्य उत्पाद, क्रिमिक्स, बीकानेरी भुजिया
473.		बूंदी	चावल
474.		चित्तौड़गढ़	संगमरमर, ग्रेनाइट और पर्यटन
475.		चुरू	ग्वार गम, लकड़ी के उत्पाद
476.		दौसा	पत्थर के लेख और दरी
477.		धौलपुर	स्किम्ड मिल्क पाउडर, स्टोन टाइलें और स्लैब
478.		धुंगरपुर	ग्रीन मार्बल स्लैब और टाइलें
479.		हनुमानगढ़	कृषि उत्पाद (चावल और कपास), पर्यटन
480.		जयपुर	रत्न और आभूषण, वस्त्र, फर्नीचर, सेवा निर्यात और अन्य, खिलौने, जयपुर की नीली मिट्टी के बर्तन
481.		जैसलमेर	अप्लीक वर्क, मार्बेल एंड सर्विसेज, इसबगोल, गौर गम, हैंडीक्राफ्ट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स
482.		जालौर	मसाले, ग्रेनाइट और डेयरी उत्पाद
483.		झालावाडी	सैंड स्टोन, मिश्रित आइटम
484.		झुंझुनूं	लकड़ी और पत्थर आधारित आइटम
485.		जोधपुर	इसबगोल, गौर गम, फर्नीचर उत्पाद, पाउडर, हस्तशिल्प, स्टेनलेस स्टील शीट / बर्तन
486.		करौली	सैंड स्टोन लेख, सिलिका और पाउडर
487.		कोटा	रसायन और उर्वरक, खनिज, कोटा डोरिया
488.		नागौर	इसबगोल, मसाला प्रसंस्करण, हैंडटूल और ऊनी कालीन, मकराना मार्बल
489.		पाली	सीमेंट, मेहंदी, ग्वार गुम
490.		प्रतापगढ़	थेवा कला, पर्यटन
491.		राजसमंद	तेरा कोटा, संगमरमर का सजावटी लेख
492.		सीकर	एंटीक फर्नीचर
493.		सिरोही	पत्थर की नक्काशी, टाइलें, साइलियम हस्क
494.		श्री गंगानगर	गोंद पाउडर
495.		स्वाई मोधपुर	पर्यटन

496.		टोंक	पत्थर की टाइलें और रेत पत्थर की टाइलें
497.		उदयपुर	संगमरमर, खनिज और सेवा निर्यात
498.	**सिक्किम**	उत्तरी सिक्किम	पर्यटन, सिक्किम बड़ी इलायची
499.		पूर्वी सिक्किम	पर्यटन और आईटी/आईटीईएस, लाल मिर्च मिर्च
500.		पश्चिम सिक्किम	सिक्किम बड़ी इलायची, न्यूनतम प्रसंस्कृत सब्जियां
501.		दक्षिण सिक्किम	सिक्किम बड़ी इलायची, चाय, अदरक
502.	**तमिलनाडु**	अरियालुर	रेडीमेड गारमेंट्स, नालीदार चादरें और बक्से,
503.		चेंगलपट्टू	चमड़े के सामान और वस्त्र, झींगा, ऑटोमोबाइल उत्पाद, ग्रेनाइट
504.		चेन्नई	जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, समुद्री उत्पाद, आभूषण उत्पाद, परिधान, सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर सेवाएं
505.		कोयंबटूर (पोलाची)	इंजीनियरिंग उत्पाद जैसे फाउंड्री, मोटर्स और पंप, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, आयरन कास्टिंग्स, एल्युमिनियम कास्टिंग्स, वेट ग्राइंडर और घरेलू उपकरण, कपड़ा जैसे यार्न और फैब्रिक, पोल्ट्री उत्पाद, सब्जियां, नारियल और कॉयर उत्पाद, कोवई कोरा कॉटन साड़ी, कोयंबटूर वेट चक्की; (केला)
506.		कुड्डालोर	रासायनिक, समुद्री, काजू, कृषि उत्पाद
507.		धर्मपुरी	ऑटो घटक, इंजीनियरिंग, बागवानी, कृषि उत्पाद, प्लास्टिक
508.		डिंडीगुल	ईस्ट इंडिया लेदर, टेक्सटाइल, डिंडीगुल लॉक्स, सिरुमलाई हिल केला, विरुपाक्षी हिल केला, कोडाईकनाल मलाई पुंडक्ट्स
509.		इरोड	हथकरघा और पावरलूम उत्पाद, प्रसंस्कृत कपड़े, अंडे का पाउडर, मोटर वाहन के पुर्जे, कृषि उत्पाद जैसे टैपिओका और स्टार्च, पोल्ट्री उत्पाद और अंडे, इरोड मंजल (इरोड हल्दी)
510.		कल्लाकुरिची	खाद्य उत्पाद – चावल, साबूदाना, हल्दी, कृषि आधारित उत्पाद – गुड़ पाउडर, पशु चारा – ब्रिकेट
511.		कांचीपुरम	इंजीनियरिंग और ऑटो कंपोनेंट्स, सिल्क वीविंग, टेक्सटाइल गारमेंट्स, सॉफ्टवेयर, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म – हेरिटेज एंड मेडिकल, कांचीपुरम सिल्क
512.		कन्याकूमारी	काजू, मछली के जाल, समुद्र के गोले, नागरकोइल के मंदिर के आभूषण, एथोमोझी लंबा नारियल
513.		करूर	होम टेक्सटाइल्स जैसे बेडशीट, प्लेसमेट्स, टेबल रनर, पर्दे, आदि,
514.		कृष्णागिरी	इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण (मैंगो पल्प), कट फ्लावर, हीरे के आभूषण।
515.		मदुरै	हथकरघा, ग्रेनाइट उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट्स, मदुरै सुंगुडी, मदुरै मल्ली, जैस्मीन
516.		माइलादुत्रयी	कृषि उत्पाद (नारियल, आम का गूदा, कयर आदि)
517.		नागपट्टिनम	कृषि खाद्य प्रसंस्करण, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण, कृत्रिम आभूषण, कोईर
518.		नमक्कली	कुक्कुट उत्पाद जैसे अंडे सेने वाले अंडे, माता–पिता के अंडे, ब्रायलर मुर्गियां, टेबल अंडे, आदि, कच्चे ग्रेनाइट, यार्न, सूती कपड़े, तौलिए, बेड स्प्रेड और रिग।
519.		पेरम्बलुर	कृषि उत्पाद, काजू
520.		पुदुक्कोट्टई	कृषि खाद्य प्रसंस्करण, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण, ग्रेनाइट, कयर, इंजीनियरिंग

521.		रमनथा पुरम	सूखी मछली
522.		रानीपेट	चमड़ा उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल घटक, इंजीनियरिंग उत्पाद
523.		सलेम	इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण (मैंगो पल्प), कटे हुए फूल, डायमंड ज्वैलरी, पोल्ट्री उत्पाद और अंडे, सेलम फैब्रिक, सेलम सिल्क जिसे सलेम वेनपट्टू के नाम से जाना जाता है,
524.		शिवगंगा	गेरकिंस (लघु ककड़ी), चेट्टीनाड कोट्टान
525.		तेनकासी	कॉयर पिथ ब्लॉक
526.		तंजावुरी	हस्तशिल्प, कयर उद्योग, कृषि उत्पाद, रेशम, पीतल निर्माण उद्योग, तंजावुर पेंटिंग, तंजावुर आर्ट प्लेट, तंजावुर गुड़िया, तंजावुर वीनाई, तंजावुर पिथ वर्क्स, स्वामीमलाई कांस्य चिह्न
527.		थेनी	केला, मसाले, मेड अप्स
528.		नीलगिरी	बागवानी फसलें जैसे आलू, पत्ता गोभी, गाजर, चाय, कॉफी, अदरक, फल, इमारती लकड़ी, नीलगिरी का तेल, लहसुन और काली मिर्च, फूलों की खेती के उत्पाद जैसे कटे हुए फूल जैसे लिलियम, कार्नेशन, जरबेरा, आदि, टोडा शॉल, घर में बनी चॉकलेट वर्की, नीलगिरो (प्राचीन) लोगो
529.		तिरुवल्लुर	गारमेंट्स, इंजीनियरिंग– टूल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स
530.		थिरुवरुर	कयर उद्योग, कृषि उत्पाद, समुद्री उत्पाद
531.		तिरुचिरापल्ली	कृषि खाद्य प्रसंस्करण, भारी विद्युत और इंजीनियरिंग, रक्षा उपकरण, कृत्रिम आभूषण, पवनचक्की घटक केला
532.		तिरुनेलवेली	यार्न, तिरुनेलवेली हलवा, पट्टामदई पाई
533.		तिरूपत्तुर	चमड़ा उत्पाद, कयर उत्पाद, चंदन उत्पाद
534.		तिरुपुर	होजरी गारमेंट्स और परिधान
535.		तिरुवन्नामलाई	रेशम, विनिर्माण उत्पाद, ऑटोमोबाइल उत्पाद
536.		तूतीकोरिन (टूथुकुडी)	समुद्री उत्पाद
537.		वेल्लोर	चमड़ा उद्योग, रेडीमेड वस्त्र, रसायन,
538.		विल्लुपुरम	कृषि उत्पाद, समुद्री उत्पाद
539.		विरुधुनगर	मसाले, सूत, कयर पिठ, पटाखे, सुरक्षा माचिस, मुद्रित पुस्तकें, ग्रे कपड़ा, जालीदार कपड़ा
540.	**तेलंगाना**	आदिलाबाद	निर्मल खिलौने, पेंटिंग और फर्नीचर, कपास की गांठें, आदिलाबाद डोकरा,
541.		भद्राद्री–कोथागुडेम	एगडा से धान, कपास, मक्का, लाल चना, पाम तेल, मिर्च, आम, काजू
542.		हैदराबाद	रत्न और आभूषण/मोती
543.		जागीटियाल	आम
544.		जनगांव	चावल
545.		जयशंकर–भुपलपल्ली	मिर्च, लेटराइट, मछली और पारिस्थितिकी पर्यटन
546.		जोगुलम्बा गडवाल	एजेंडा से मूंगफली, गडवाल साड़ी
547.		कामारेड्डी	एजेंडा से चावल, सोया, चीनी, कपास
548.		करीमनगर	आम, पोलिश स्लैब, करीमनगर की सिल्वर फिलाग्री, ग्रेनाइट रफ ब्लॉक्स,
549.		खम्मम	मिर्च, ग्रेनाइट
550.		कोमारेम भीम असीफाबाद	कपास
551.		महबुबाबाद	मिर्च, हल्दी
552.		मच्चेरियल	आम, कपास
553.		महबूबनगर	आम, ज्वार, सामान्य इंजीनियरिंग, निर्माण

554.		मेडक	स्वीट कॉर्न, टमाटर, चावल, सब्जियां, क्वाट्र्ज, मछली
555.		मेडचल	फार्मा, खान, मत्स्य पालन
556.		मुलुगु	मिर्च
557.		नगरकुरनूल	आम, मूंगफली, रेडीमेड गारमेंट्स
558.		नलगोंडा	चावल, कपास
559.		निर्मल	कॉटन बेल्स निर्मल टॉयज, निर्मल फर्नीचर, निर्मल पेंटिंग्स
560.		नारायणपेट	सूती वस्त्र / साड़ी
561.		निजामाबाद	हल्दी, चावल, बीज, ग्रेनाइट ब्लॉक
562.		पेद्दापल्ली	लकड़ी का फ़र्निचर
563.		रंगारेड्डी	आम, बिस्कुट और कन्फेक्शनरी, फार्मा और हेल्थकेयर, पैकिंग सामग्री, एयरो–स्ट्रक्चर का निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक आइटम असेंबलिंग/इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे/सटीक इंजीनियरिंग उत्पाद, क्वाट्र्ज और फेल्डस्पार, क्राफ्ट पेपर, क्वाट्र्ज सतह स्लैब, मसाले, मिर्च तरल और पाउडर, फर्श टाइलें और कालीन, गेरकिंस प्रसंस्करण, लीड एसिड बैटरी, स्नेहक योजक, आईसी इंजन मूल्यों का निर्माण, गैर डेयरी व्हिपिंग क्रीम, जुराबें, सौर मॉड्यूल, दूरसंचार डक्ट पाइप
564.		राजन्ना सिरसिला	एजेंडा से मछुआरे, हथकरघा, कपड़ा, डेयरी उत्पाद
565.		संगारेड्डी	आम, सामान्य इंजीनियरिंग उत्पाद, बीज
566.		सिद्दीपेट	चेरियाल पेंटिंग, गोलबामा साड़ी, आम
567.		सूर्यापेट	मिर्च, लेटराइट, मछली और पारिस्थितिकी पर्यटन
568.		विकाराबाद	स्टोन कटिंग, पॉलिशिंग स्लैब, फुलर अर्थ ग्रेन्यूल्स और पाउडर, दालें, सब्जियां
569.		वानापर्थी	आम, मूंगफली
570.		वारंगल ग्रामीण	मिर्च टाइल, चावल–आरएनआर15048, आम, वारंगल दरियां,
571.		वारंगल शहरी	मिर्च, आम, वारंगल दरियां
572.		यादद्रि–भावनगिरी	सिल्क धागा
573.	**त्रिपुरा**	धलाई	त्रिपुरा क्वीन अनानास
574.		गोमती	बास, धार्मिक पर्यटन
575.		उत्तर त्रिपुरा	त्रिपुरा क्वीन अनानास
576.		सेपाहीजाला	त्रिपुरा क्वीन अनानास
577.		दक्षिण त्रिपुरा	खाद्य प्रसंस्करण
578.		उनाकोटी	पर्यटन
579.		पश्चिम त्रिपुरा	बांस फर्नीचर, अगरबत्ती, रबड़
580.	**उत्तर प्रदेश**	आगरा	चमड़ा उत्पाद (जूते), आलू, पत्थर हस्तशिल्प, आगरा दर्री, पर्यटन, कालीन/दारी, मांस प्रसंस्करण, प्लास्टिक और शल्य चिकित्सा के सामान
581.		अलीगढ़	ताला और हार्डवेयर, भैंस का मांस, हस्तशिल्प वस्तु
582.		अम्बेडकर नगर	कपड़ा उत्पाद, चावल
583.		अमेठी	मूंज, चमड़ा उत्पाद, चावल, गेहूं
584.		औरैया	देसी घी (खाद्य उत्पाद), चावल, प्लास्टिक सामग्री, चावल
585.		फजाबाद (अयोध्या)	धार्मिक पर्यटन और रेडीमेड गारमेंट्स, पेपर आइटम (ग्लास आइटम)
586.		आजमगढ़	काली मिट्टी के बर्तन, कपड़ा
587.		बदायूं	जरी और जरदोजी, मेंथा तेल और संबद्ध उत्पाद
588.		बागपत	होम फर्निशिंग, पर्दे, बेडशीट, पिलो कवर्स, दारी
589.		बहराइच	गेहूं का डंठल, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण / चावल
590.		बलिया	खाद्य प्रसंस्करण

591.		बलरामपुर	दालें, कृषि आधारित उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, गेहूं
592.		बांदा	शाजर स्टोन क्राफ्ट्स/होजरी गुड्स
593.		बाराबंकी	कपड़ा उत्पाद और मेंथा क्रिस्टल और फ्लेक्स, जमे हुए मांस, जैविक खाद्य और हर्बल उत्पाद, कृषि खाद्य उत्पाद
594.		बरेली	जरी और जरदोजी, मांस, चावल और मेंथा तेल
595.		बस्ती	लकड़ी के शिल्प, चावल
596.		भदोही (संत रविदास नगर)	हाथ से बना कालीन
597.		बिजनौर	लकड़ी शिल्प, पीतल एल्यूमीनियम, लौह इस्पात, हस्तशिल्प
598.		बुलंदशहरी	सिरेमिक उत्पाद, खुर्जा मिट्टी के बर्तन, स्टील पाइप, रसायन, मांस और चावल
599.		चंदौली	प्लास्टिक उत्पाद (एफआईबीसी/प्लास्टिक बुने हुए बोरे/अन्य प्लास्टिक उत्पाद), जरी जरदोजी, चावल, इलेक्ट्रिकल्स, फल
600.		चित्रकूट	लकड़ी के खिलौने, धार्मिक पर्यटन
601.		देवरिया	सजावटी हस्तशिल्प/वस्त्र
602.		एटा	टखने की घंटी (घुंघरू) घंटी और पीतल के उत्पाद / चिकोरी रोस्टेड
603.		इटावा	कपड़ा उत्पाद (बेडस्प्रेड, टेबल कवर, पर्दे) और चावल
604.		फरुखाबाद	टेक्सटाइल प्रिंटिंग, आलू, फर्रुखाबाद प्रिंट्स, टेक्सटाइल पेंटिंग, चावल
605.		फतेहपुर	चादरें, लोहे का निर्माण कार्य, चावल
606.		फिरोजाबाद	फिरोजाबाद कांच, कांच के बने पदार्थ, सजावटी कांच के सामान, थर्मस फ्लास्क
607.		गौतमबुद्धनगर	रेडीमेड गारमेंट्स, बासमती चावल, मांस, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग सामान
608.		गाज़ियाबाद	इंजीनियरिंग सामान, चीनी, मशीनरी पार्ट्स और ऑटो पार्ट्स, पिस्टन और रिंग्स, कपड़ा और घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के सामान, मांस
609.		गाजीपुर	गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग, हरी मिर्च, हरी मटर, चावल
610.		गोंडा	दालें, कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण, गेहूं
611.		गोरखपुर	गोरखपुर टेरीकॉट, कपड़ा वस्त्र, काला नमक, चावल
612.		हमीरपुर	जूते
613.		पंचशील नगर (हापुड़)	होम फर्निशिंग, पेपर कोन, वुडन फर्नीचर, बेडशीट, चावल,
614.		हरदोई	हथकरघा, कीटनाशक, चावल, चीनी
615.		हाथरस (महामाया नगर)	हिंग (हींग), हार्डवेयर, कॉटन बाथ मेट्स, ड्रइज़, बिल्डर्स, हैंडल, मेटल हैंडीक्राफ्ट, चावल
616.		जालौन	हस्तनिर्मित कागज कला, मेंथा तेल
617.		जौनपुर	दरी
618.		झाँसी	सॉफ्ट टॉयज, इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर /, फूड प्रोसेसिंग, टेक्स्टबुक्स, टूरिज्म, फ्लोर मिल और मशीनरी के पार्ट्स (फ्लोर मिल स्टोन्स), एल्युमिनियम लेबल्स
619.		अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर)	संगीत वाद्ययंत्र, पीतल एल्यूमीनियम, लौह इस्पात, हस्तशिल्प आइटम, लकड़ी के सामान
620.		कन्नौज	कन्नौज इत्र, परफ्यूम (इत्र) और संबद्ध उद्योग और आवश्यक तेल निष्कर्षण
621.		कानपूर देहात	चमड़ा, काठी, प्लास्टिक उत्पाद, हेलीकाप्टर के पुर्जे
622.		कानपुर नगर	चमड़ा उत्पाद, जूते, काठी का सामान, इंजीनियरिंग सामान, प्लास्टिक उत्पाद, कपड़ा और होजरी आइटम

623.		काशोराम नगर (कासगंज)	जरी जरदोजी, मिल्क पाउडर, कपूर
624.		कौशाम्बी	खाद्य प्रसंस्करण, केला और पर्यटन
625.		कुशी नगर	चीनी, पर्यटन सहित कृषि आधारित उत्पाद
626.		लखिम पुर खेरी	प्लाईवुड, चावल और चीनी
627.		ललितपुर	जरी सिल्क साड़ी और ग्रेनाइट स्लैब ळतंद
628.		लखनऊ	लखनऊ चिकन क्राफ्ट, मैंगो मलिहाबादी दशहरी, लखनऊ जरी–जरदोजी, आम, मांस, चावल और कवकनाशी
629.		महराजगंज	फर्नीचर और चावल
630.		महोबा	गौरा स्टोन क्राफ्ट
631.		मैनपुरी	तारकशी कला (हस्तशिल्प), चावल
632.		मथुरा	डेयरी उत्पाद, धार्मिक पर्यटन, सेनेटरी फिटिंग, ठाकुर जी पोशाक
633.		मऊ	पावरलूम टेक्सटाइल्स
634.		मेरठ	खेल के सामान, आम, मेरठ कैंची, सी–मांस, क्रिकेट के लिए सुरक्षात्मक उपकरण
635.		मिर्जापुर	मिर्जापुर हस्तनिर्मित कालीन
636.		मुरादाबाद	मुरादाबाद धातु शिल्प, मेंथा उत्पाद, चावल
637.		मुजफ्फरनगर	गुड़, तिल, मांस
638.		पीलीभीत	दारी, चावल
639.		प्रतापगढ़	आंवला उत्पाद, चावल
640.		इलाहबाद (प्रयाग राज)	धार्मिक पर्यटन, कालीन और कृषि प्रसंस्करण खाद्य, अचार और जैम, चावल
641.		राय बरेली	लकड़ी का काम, इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, एल्यूमिनियम कास्टिंग, चावल और गेहूं
642.		रामपुर	एप्लीक कार्य, चिथड़े, मेंथा उत्पाद, मांस
643.		सहारनपुर	आम, सहारनपुर वुडक्राफ्ट, हर्बल उत्पाद, हौजरी उत्पाद, फ्रोजन मीट
644.		संभल (भीम नगर)	हॉर्न बोन हैंडीक्राफ्ट और मेंथा ऑयल
645.		संत कबीर नगर	होजरी उत्पाद
646.		शाहजहांपुर	जरी और जरदोजी, चावल, सर्जिकल उपकरण और प्लाईवुड
647.		शामली (प्रबुद्ध नगर)	लौह शिल्प
648.		श्रावस्ती	चावल, पर्यटन
649.		सिद्धार्थ नगर	चावल (काला नमक)
650.		सेतापुर	कालीन और दारी, चावल, चीनी
651.		सोनभद्र	एल्यूमिनियम उत्पाद
652.		सुल्तानपुर	चावल
653.		उन्नाव	चमड़े की वस्तुएं, जरी जरदोजी, प्रसंस्कृत मांस, चावल और आम
654.		वाराणसी	रेशम उत्पाद, पर्यटन, ताजी सब्जियां (भिंडी और हरी मिर्च), बनारस ब्रोकेड और साड़ी, बनारस गुलाबी मीनाकारी शिल्प, वाराणसी वुडन लाख के बर्तन और खिलौने, बनारस मेटल रिपोज क्राफ्ट, वाराणसी ग्लास बीड्स, वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क
655.	**उत्तराखंड**	अल्मोड़ा	पर्यटन, हथकरघा, हस्तशिल्प

656.		बागेश्वर	पर्यटन
657.		च्मोली	पर्यटन
658.		चम्पावत	पर्यटन
659.		देहरादून	फार्मा, बासमती चावल, पर्यटन
660.		हरिद्वार	पर्यटन, कृषि उत्पाद
661.		नैनीताल	सुगंधित मोमबत्ती, पर्यटन
662.		पौड़ी गढवाली	पर्यटन
663.		पिथरोगढ़	पर्यटन
664.		रुद्रप्रयाग	पर्यटन
665.		टिहरी गढ़वाल	पर्यटन
666.		उधम सिंह नगर	ऑटोमोबाइल उद्योग, चावल, लीची
667.		उत्तरकाशी	पर्यटन
668.	**पश्चिम बंगाल**	अलीपुरद्वार	लकड़ी के उत्पाद
669.		बांकुरा	बांकुरा पंचमुरा टेराकॉट एक शिल्प, बंगाल पटचित्र
670.		बीरभूम	कृषि सामान (धान)
671.		दक्षिण 24 परगना	चमड़ा, वस्त्र, शहद, जॉयनगर मोआ, बंगाल पटचित्र
672.		कूच बिहार	अनानास
673.		दार्जिलिंग	दार्जिलिंग चाय, पर्यटन
674.		दक्षिण दिनाजपुर	अनन्नास
675.		हुगली	कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, जूट
676.		हावड़ा	इंजीनियरिंग और फाउंड्री, जूट, रत्न और आभूषण, फोर्जिंग उद्योग, कपड़ा
677.		जलपाईगुड़ी	चाय, रसद, अनानास
678.		झारग्राम	पर्यटन
679.		कालिम्पोंग	चाय, पर्यटन
680.		कोलकाता	इंजीनियरिंग, चमड़ा, आईटी/आईटीईएस
681.		मालदा	लीची, मालदा लक्ष्मण भोग आम, मालदा खिरसापति (हिमसागर) आम, मालदा फाजली आम
682.		मुर्शिदाबाद	कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, लीची, आम
683.		नाडिया	रत्न और आभूषण
684.		उत्तर 24 परगना	चमड़ा, जूट, इंजीनियरिंग सामान, खाद्य और पेय पदार्थ
685.		पश्चिम मेदिनीपुर (पश्चिम मेदिनीपुर)	चावल, मदुर काठी
686.		पश्चिम (पश्चिम) बर्धमान (बर्धमान)	चावल, बर्धमान सीताभोग, बर्धमान मिहिदान
687.		पुरबा बर्धमान (बर्धमान)	चावल, बर्धमान सीताभोग, बर्धमान मिहिदान
688.		पूरबा मेदिनीपुर (पूर्व मेदिनीपुर)	खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रोरसायन
689.		पुरुलिया	शैलैक, पीतल, और बेल धातु, पुरुलिया चाऊ मास्क
690.		उत्तर दिनाजपुर (उत्तर दिनाजपुर)	अनानास
691.	**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**	निकोबार	टूना, नारियल और नारियल आधारित उत्पादों, पर्यटन, आईटी सेवाओं पर जोर देने वाले समुद्री उत्पाद
692.		उत्तर और मध्य अंडमान	टूना, नारियल और नारियल आधारित उत्पादों, पर्यटन, आईटी सेवाओं पर जोर देने वाले समुद्री उत्पाद
693.		दक्षिण अंडमान	टूना, नारियल और नारियल आधारित उत्पादों, पर्यटन, आईटी सेवाओं पर जोर देने वाले समुद्री उत्पाद
694.	**चंडीगढ़**	चंडीगढ़	फुलकारी, पर्यटन, सॉफ्टवेयर सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं

695.	**दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली**	दादरा और नगर हवेली	यार्न, कपड़े, फार्मास्यूटिकल्स, केबल्स, रबड़, प्लास्टिक उत्पाद, रेडीमेड वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पाद
696.		दमन	घरेलू सामान, प्लास्टिक उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, केबल्स, मत्स्य पालन, रेडीमेड वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पाद
697.		दीव	मत्स्य पालन, रेडीमेड वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पाद, प्लास्टिक उत्पाद
698.	**दिल्ली**	दक्षिण दिल्ली	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
699.		केंद्रीय	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
700.		उत्तर	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
701.		दक्षिण	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
702.		ईशान कोण	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
703.		पश्चिम	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
704.		शाहदरा	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
705.		पूर्व	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
706.		नई दिल्ली	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
707.		उत्तर पश्चिम	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
708.		दक्षिण पश्चिम	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
709.	**जम्मू और कश्मीर**	अनंतनाग	हस्तशिल्प, क्रिकेट चमगादड़, अखरोट, सेब, खुबानी, मुशकबुदजी, शहद, मिर्च
710.		बांदीपुरा	हस्तशिल्प, सेब, काला जीरा, प्रसंस्कृत ट्राउट मछली, क्रेवेल कढ़ाई, शहद
711.		बारामूला	सेब, अखरोट, डिब्बाबंद चेरी, शहद, सुगंधित चावल, लाल चावल
712.		बडगाम	हस्तशिल्प, सूखे मेवे, कश्मीर केसर, कनी शॉल, कश्मीरी सैंडी नाशपाती, क्रूवेल, सोजनी वर्क, जैविक सब्जियां, शहद, अखरोट की गुठली
713.		डोडा	पर्यटन
714.		गांदरबली	सेब, हस्तशिल्प, पर्यटन, विलो विकर और कनी शॉल
715.		जम्मू	खुबानी, अखरोट, क्रिकेट बल्ले
716.		कठुआ	अखरोट
717.		किश्तवाड़	कश्मीर केसर
718.		कुलगाम	सेब, अखरोट, पर्यटन, जैविक सब्जियां, लहसुन, कश्मीरी लाल मिर्च, चावल, भेड़ की ऊन, मटन, डेयरी उत्पाद, क्रू कढ़ाई, सोजनीम्ब्रायडरी, मछली, शहद, खनिज पानी
719.		कुपवाड़ा	अखरोट और सेब, लाल चावल, संगमरमर
720.		पूंछ	पर्यटन
721.		पुलवामा	पेंसिल, कश्मीर केसर, सेब
722.		राजौरी	पर्यटन
723.		रामबन	पर्यटन
724.		रियासी	पर्यटन
725.		सांबा	पर्यटन
726.		शोपियां	सेब
727.		श्रीनगर	कश्मीरी विलो (खेल के सामान), हस्तशिल्प उत्पाद, चमड़े का सामान, सेब, कश्मीर केसर, पर्यटन, कश्मीर पेपर माची, कश्मीर अखरोट की लकड़ी की नक्काशी, कश्मीर पश्मीना, कश्मीरी हाथ से बुना हुआ कालीन, कश्मीर सोजानी शिल्प
728.		उधमपुर	सेब, नाशपाती, अखरोट

729.	**लद्दाख**	कारगिल	पश्मीना शॉल, कश्मीर पश्मीना, समुद्री हिरन का सींग, खुबानी, कश्मीरी ऊन, पर्यटन,
730.		लेह	पश्मीना शॉल, कश्मीर पश्मीना, समुद्री हिरन का सींग, खुबानी
731.	**लक्षद्वीप**	लक्षद्वीप	मछली, खोपरा
732.	**पुदुचेरी**	पुदुचेरी	टेराकोटा उत्पाद, पेपर माची क्राफ्ट, नकली आभूषण, सुगंध और इत्र से संबंधित उत्पाद, अगरबत्ती, बहु उपयोग प्लास्टिक के घटक / उत्पाद, चावल और खाद्य उत्पाद, समुद्री उत्पाद, हर्बल, साग और खराब होने वाले उत्पाद, कॉयर उत्पाद, सामान्य इंजीनियरिंग घटक, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, रसायन (जिंक ऑक्साइड), प्लास्टिक (ओवेन बैग), परिष्कृत सीसा उत्पाद और हस्तशिल्प
733.		कराईकल	समुद्री उत्पाद, कृषि, पर्यटन, रसायन (हाइड्रोजन, तरल क्लोरीन, कास्टिक सोडा, एचसीएल, पौटाशियम क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम सिलिकेट), यार्न
734.		यनम	हस्तशिल्प, समुद्री उत्पाद, चावल
735.		माहे	हस्तशिल्प, समुद्री उत्पाद, चावल

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1457

<u>दिनांक 28 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

भारतीय निर्यात

1457 श्री बी. मणिक्कम टैगोर

डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

श्री कुलदीप राय शर्मा:

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2021 में जनवरी–जून के दौरान भारत के निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसी अवधि के दौरान निर्यात की दर सहित विभिन्न वस्तुओं के कुल निर्यात का क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि में भारत के निर्यात को बढ़ावा देने में सरकार के समक्ष आने वाली चुनौतियां कौन सी हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्यात के विकास और वृद्धि हेतु उपयुक्त अवसंरचना सृजित करने के लिए तमिलनाडु को कोई सहायता/प्रोत्साहन/सुविधाएं प्रदान की हैं और यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान देश के कुल निर्यात में तमिलनाडु राज्य द्वारा किए गए योगदान का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सभी क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): भारत के कुल निर्यात (व्यापारिक वस्तुओं एवं सेवाओं) का अनुमानित मूल्य जनवरी से जून 2020 के दौरान 226.55 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में जनवरी से जून 2021 के दौरान 293.49 बिलियन यूएस डॉलर था, जोकि 29.55 % की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

जनवरी से जून, 2021 के दौरान भारत के निर्यात का क्षेत्र–वार/प्रमुख वस्तु–वार विवरण तथा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में होने वाले परिवर्तन को प्रतिशत में **अनुलग्नक– I** में दर्शाया गया है।

(ग) निर्यात को बढ़ावा देने में मुख्य चुनौतियां विभिन्न वैश्विक और घरेलू कारक हैं जैसे घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग और आपूर्ति, कोरोना महामारी के दौरान पूरी दुनिया में लगने वाला लॉकडाउन, मुद्रा में उतार–चढ़ाव, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें इत्यादि।

(घ) सरकार ने तमिलनाडु में स्थित परियोजनाओं के लिए व्यापार अवसंरचना निर्यात स्कीम (टीआईईएस) के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 43.43 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की हिस्सेदारी **अनुलग्नक–III** में दर्शाई गई है।

(ङ) निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ मुख्य कदम निम्नलिखित हैं:

1) दिसम्बर 2017 में विदेश व्यापार नीति (2015–20) की मध्यावधि समीक्षा की गई और सुधारात्मक उपाय किए गए।

2) कोविड–19 महामारी की स्थिति के कारण विदेश व्यापार नीति (2015–20) की वैधता 30.9.2021 तक बढ़ा दी गई है।

3) शिपमेंट से पहले और बाद में रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण योजना भी 30.09.2021 तक बढ़ायी गयी है।

4) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम शुरु की गई है और राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 01.01.2021 से शुरू की गई है।

5) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा एफटीए उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।

6) कृषि, बागवानी, पशुपालन, मात्स्यिकी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों से संबंधित कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु एक व्यापक ''कृषि निर्यात नीति'' का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

7) 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों के लिए विशिष्ट कार्य योजनाओं को आगे बढ़ा कर सेवा निर्यात को बढ़ावा देना और विविधीकरण करना।

8) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करने के द्वारा निर्यात हब के रुप में जिले को बढ़ावा देना, इन उत्पादों का निर्यात करने के लिए अड़चनों को दूर करना और जिले में रोज़गार पैदा करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करना।

9) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा देने हेतु विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।

10) कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में विविध राहत उपायों के माध्यम से, घरेलू उद्योग विशेष रुप से एमएसएमई, जिनका निर्यात में प्रमुख हिस्सा है, को सहायता देने के लिए पैकेज की घोषणा की गई है।

11) व्यापार अवसंरचना और विपणन को बढ़ावा देने के लिए निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम और परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए) स्कीम।

*****

अनुलग्नक– I

दिनांक 28 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 1457 के भाग (क) और (ख) के उत्तर हेतु संदर्भित विवरण

मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में

क्रम संख्या	**क्षेत्र**	**जनवरी से जून 2020**	**जनवरी से जून, 2021***	**% परिवर्तन**
1	अभियांत्रिकी वस्तुएं	32985.4	49673.3	50.6
2	पैट्रोलियम उत्पाद	14070.6	21171.9	50.5
3	रत्न और आभूषण	10582.7	18310.0	73.0
4	कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन	10421.2	13028.6	25.0
5	दवाएं एवं औषधियां	10620.5	12151.2	14.4
6	सभी वस्त्रों की रेडिमेड गार्मेंट	5490.9	7475.3	36.1
7	इलैक्ट्रॉनिक सामान	4350.4	6661.9	53.1
8	सूती धागे/वस्त्र/मेड अप्स, हथकरघा उत्पाद आदि।	3859.0	6390.6	65.6
9	चावल	3886.5	5197.9	33.7
10	प्लास्टिक एवं लिनोलियम	3521.4	4558.2	29.4
11	लौह अयस्क	1714.3	3433.2	100.3
12	समुद्री उत्पाद	2443.9	3188.7	30.5
13	मानव निर्मित कृत्रिम धागा/कपड़ा/मेडअप्स आदि	1704.6	2561.8	50.3
14	अभ्रक, कोयला एवं अन्य अयस्क, परिष्कृत खनिजों सहित खनिज	1616.8	2287.4	41.5
15	मसाले	1671.3	2118.2	26.7
16	मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद	1276.8	1973.4	54.6
17	चमड़ा एवं चमड़े के उत्पाद	1422.6	1833.4	28.9
18	मिट्टी एवं कांच के बने उत्पाद	1139.8	1769.3	55.2
19	फल एवं सब्जियां	1368.4	1522.7	11.3
20	अनाज से निर्मित एवं विविध परिष्कृत उत्पाद	687.9	1074.1	56.1
21	हस्तशिल्प, हस्तनिर्मित कालीन को छोड़कर	597.5	1002.8	67.8
22	खली	363.2	931.2	156.4
23	कालीन	494.5	852.3	72.3
24	तिलहन	607.1	574.1	-5.4
25	अन्य अनाज	99.5	501.7	404.3
26	तंबाकू	371.7	467.4	25.7
27	कॉफी	384.5	445.4	15.8
28	चाय	305.3	331.1	8.5
29	काजू	204.2	238.4	16.8
30	फर्श आवरण सहित जूट विनिर्माण	117.1	232.5	98.6
31	अन्य	8156.0	13272.9	62.7
कुल निर्यात		**126535.6**	**185230.5**	**46.4**

स्रोतः– डीजीसीआईएण्डएस, कोलकाता (:अनंतिम)*

अनुलग्नक–।।

दिनांक 28 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 1457 के भाग (घ) और (ड.) के उत्तर हेतु संदर्भित विवरण

पिछले तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2018–19 से 2020–21) और चालू वर्ष में तमिलनाडु में निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) के अन्तर्गत वित्त पोषित परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार हैः–

क्रम संख्या	क्रियान्वयन अभिकरण	परियोजना का नाम	परियोजना की कुल लागत	टीआईईएस द्वारा स्वीकृत फंड	वित्त वर्ष 2018–19 से जारी किया गया फंड
1.	मद्रास ईपीज़ेड एसईज़ेड	मद्रास ईपीज़ेड एसईज़ेड, तमिलनाडु में 1 (एक) एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का पुनरुद्धार	2.15	1.08	0.63 (2018-19) 0.4484 (2020-21)
2.	सीएलई	आरएएनआईटीईसी सीईटीपी परियोजना का उन्नयन, तमिलनाडु	17.73	4.43	4.43 (2018-19)
3.	एआरएसटीपीएस – सीआईपीईटी	चेन्नई, तमिलनाडु में ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस और अभियांत्रिकी क्लस्टर के डिज़ाइन, प्रोटोटाईप और टूल रूम के लिए एक कॉमन सुविधा केन्द्र	30.27	15.13	8 (2018-19) 7.13 (2020-21)
4.	सीएलई	माधवरम सीईटीपी में अतिरिक्त 596 केएलडी क्षमता प्रणाली का निर्माण	13.08	1.89	1.89 (2019-20)
5.	सीएलई	वीआईएसएचटीईसी सीईटीपी में अतिरिक्त ज़ेडएलडी क्षमता का निर्माण	18.64	7.02	2.25 (2019-20) 1 (2020-21)
6.	सीएलई	मेल्विशारम, तमिलनाडु में कॉमन सुविधा केन्द्र	24.68	4.84	2.42 (2019-20)
7.	एसआईपीसीओटी औद्योगिक परिसर (राज्य उद्योग संवर्धन निगम तमिलनाडु)	3 एमएलडी जलापूर्ति प्रणाली का प्रावधान	13.88	4.72	2.36 (2019-20)
8.	एसआईपीसीओटी	निर्यात व्यापार सुविधा केन्द्र की स्थापना	28.96	13.98	6.99 (2019-20)
9.	एचएलएल मैडिपार्क लिमिटेड (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम तमिलनाडु सरकार का संयुक्त उद्यम)	चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए ईएमआई/ईएमसी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना	24.12	11.76	5.88 (2020-21)
		कुल			**43.4284**

अनुलग्नक–III

दिनांक 28 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 1457 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर हेतु संदर्भित विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार हिस्सेदारी

(मूल्य यू एस मिलियन डालर में)

कम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	% हिस्सेदारी	2019-20	% हिस्सेदारी	2020-21	% हिस्सेदारी	2021-22 (अप्रैल)*	% हिस्सेदारी
1	गुजरात	67412.15	20.42	63448.40	20.25	60587.00	20.81	8194.00	26.71
2	महाराष्ट्र	72809.28	22.06	64906.08	20.71	58405.96	20.06	5718.29	18.64
3	तमिलनाडु	30525.91	9.25	30014.55	9.58	26154.67	8.98	2651.46	8.64
4	कर्नाटक	17341.29	5.25	16639.45	5.31	15141.19	5.20	1797.52	5.86
5	आन्ध्र प्रदेश	14085.63	4.27	14787.75	4.72	16842.34	5.78	1777.52	5.79
6	उत्तर प्रदेश	16289.17	4.93	16989.21	5.42	16390.07	5.63	1490.61	4.86
7	ओडिशा	6303.36	1.91	6655.69	2.12	10228.44	3.51	1196.76	3.90
8	हरियाणा	13833.25	4.19	12056.14	3.85	11593.18	3.98	1146.93	3.74
9	पश्चिम बंगाल	10057.13	3.05	9490.84	3.03	8968.21	3.08	1079.35	3.52
10	तेलगांना	7168.26	2.17	7359.32	2.35	8707.19	2.99	927.28	3.02
11	राजस्थान	7061.61	2.14	6637.05	2.12	6659.08	2.29	713.40	2.33
12	दिल्ली	9464.60	2.87	10370.15	3.31	7595.21	2.61	638.75	2.08
13	मध्य प्रदेश	6382.37	1.93	5318.32	1.70	6477.32	2.22	561.39	1.83
14	पंजाब	6038.07	1.83	5605.90	1.79	5299.51	1.82	521.00	1.70
15	केरल	9834.25	2.98	10146.80	3.24	3940.62	1.35	330.76	1.08
16	दादर और नागर हवेली	2143.38	0.65	2177.41	0.69	2645.35	0.91	304.76	0.99
17	गोवा	2063.64	0.63	2000.42	0.64	2306.43	0.79	226.81	0.74
18	छत्तीसगढ़	1244.10	0.38	1278.69	0.41	2320.29	0.80	225.35	0.73
19	झारखण्ड	1252.79	0.38	1168.01	0.37	1622.31	0.56	178.28	0.58
20	बिहार	1640.91	0.50	1661.13	0.53	1514.96	0.52	177.90	0.58
21	उत्तराखंड	2351.18	0.71	2279.78	0.73	2137.28	0.73	173.66	0.57
22	हिमाचल प्रदेश	1323.43	0.40	1392.91	0.44	1661.89	0.57	155.61	0.51
23	दमन और दीव	1053.39	0.32	1109.22	0.35	618.40	0.21	51.42	0.17
24	पांडिचेरी	392.79	0.12	366.31	0.12	421.42	0.14	36.40	0.12
25	असम	369.90	0.11	436.72	0.14	415.58	0.14	33.35	0.11
26	जम्मू एवं कश्मीर	196.43	0.06	188.18	0.06	159.64	0.05	17.68	0.06
27	चंडीगढ़	71.89	0.02	76.54	0.02	75.58	0.03	6.32	0.02
28	सिक्किम	7.94	0.00	9.88	0.00	9.36	0.00	1.67	0.01
29	अरुणाचल प्रदेश	2.31	0.00	1.55	0.00	0.50	0.00	0.64	0.00
30	मेघालय	53.86	0.02	46.99	0.01	10.87	0.00	0.52	0.00
31	त्रिपुरा	1.72	0.00	1.75	0.00	11.19	0.00	0.25	0.00
32	नागालैंड	2.78	0.00	5.71	0.00	6.06	0.00	0.23	0.00
33	लक्षद्वीप	0.41	0.00	2.56	0.00	0.16	0.00	0.14	0.00
34	अंडमान एंड निकोबार	4.01	0.00	1.30	0.00	1.89	0.00	0.09	0.00
35	मिजोरम	1.41	0.00	0.58	0.00	0.45	0.00	0.01	0.00
36	मणिपुर	2.66	0.00	0.93	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
37	अविनिर्दिष्ट	21290.81	6.45	18728.82	5.98	12232.98	4.20	345.23	1.13
भारत का निर्यात		**330078.09**	**100.00**	**313361.04**	**100.00**	**291163.54**	**100.00**	**30681.33**	**100.00**

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता (*:अनंतिम)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1471

दिनांक 28 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्राकृतिक रबड़ का आयात

1471. एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक रबड़ के आयात का आंकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास पिछले तीन वर्षों में देश में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन का कोई आंकड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

***

(क) एवं (ख): गत तीन वर्षों के दौरान भारत के प्राकृतिक रबड़ के आयात की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है:

वर्ष	**मात्रा टन में**	**मूल्य (अमरीकी मिलियन डॉलर)**
2018-19	5,82,351	873.26
2019-20	4,57,223	696.43
2020-21	4,10,478	624.35

स्रोतः डीजीसीआई एवं एस, कोलकाता

(ग) एवं (घ): गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन **(मात्रा टन में)**
2018-19	6,51,000
2019-20	7,12,000
2020-21	7,15,000

स्रोतः रबड़ बोर्ड, वाणिज्य विभाग

2017–18 से 2019–20 के दौरान देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन हेतु डाटा निम्नानुसार उपलब्ध है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन **(मात्रा टन में)**				
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
1	केरल	5,40,775	4,92,500	5,33,500
2	त्रिपुरा	50,500	52,300	61,950
3	कर्नाटक	38,300	38,900	41,550
4	असम	23,300	25,200	30,350
5	तमिलनाडु	21,110	21,500	21,600
6	मेघालय	9,050	9,300	9,350
7	नागालैंड	4,820	4,920	6,070
8	मणिपुर	1,790	1,880	1,920
9	महाराष्ट्र	1,185	1,200	1,470
10	मिज़ोरम	742	800	1,175
11	अरूणाचल प्रदेश	428	450	880
12	गोवा	575	600	600
13	ओडिशा	450	450	475
14	पश्चिम बंगाल	335	350	440
15	आंध्राप्रदेश	400	400	430
16	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	240	250	240
कुल		**6,94,000**	**6,51,000**	**7,12,000**

स्रोत: रबड़ बोर्ड, वाणिज्य विभाग

भारत सरकार	**लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	**अतारांकित प्रश्न सं. 1492**

दिनांक 28 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

कुल आयात

1492. श्रीमती माला रायः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत एक वर्ष के दौरान कुल आयात का मद और देश–वार मूल्य कितना है;

(ख) क्या आत्मनिर्भर भारत परियोजना के कारण आयात पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

***

(क) से (ग): भारत के व्यापारिक वस्तुओं के आयात का मूल्य वर्ष 2019–20 में 474.71 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में वर्ष 2020–21 में 393.61 अमरीकी बिलियन डालर था जो 17.08 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। वर्ष 2020–21 के दौरान वस्तु समूह–वार आयात का ब्यौरा अनुलग्नक–I तथा वर्ष 2020–21 के दौरान शीर्ष 30 देश–वार आयात का ब्यौरा अनुलग्नक–II पर दिया गया है। आयात में कमी कोविड–19 महामारी के प्रभाव की वजह के अतिरिक्त आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत किए गए उपायों के कारण भी हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान जिन प्रमुख उत्पादों के आयात में गिरावट आई वे कच्चा पेट्रोलियम और उत्पाद, विद्युत और गैर–विद्युत मशीनरी, मोती, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थर, कार्बनिक और अकार्बनिक रासायनिक वस्तुएं, कोयला, कोक और ब्रिकेटस इत्यादि, कृत्रिम रेजिन, प्लास्टिक सामग्रियां इत्यादि, अलौह धातुएं, परिवहन उपस्कर, लौह और इस्पात, व्यावसायिक उपकरण, ऑप्टिकल वस्तुएं इत्यादि, धात्विक अयस्क और अन्य खनिज पदार्थ, लकडी और लकडी के उत्पाद, मशीन टूल्स, डाई/टैनिंग/रंगाई सामग्रियां, वस्त्र धागे फ्रैब्रिक, निर्मित वस्तुए, प्रोजेक्ट वस्तुएं, लुगदी और रद्दी कागज, चमड़ा और चमड़े के उत्पाद, कपास कच्चा और अपशिष्ट, अखबार का कागज, सल्फर, और अनरोस्टेड आयरन पायराइट्स और सिल्वर हैं।

अनुलग्नक–I

28 जुलाई, 2021 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 1492 के भाग (क) के उत्तर हेतु संदर्भित विवरण

2020–2021 के दौरान भारत का वस्तु समूह–वार आयात **(मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में)**

क्र.सं.	वस्तु समूह	2020-21 (अ)
1	पैट्रोलियम, कच्चा और उत्पाद	82683.88
2	इलेक्ट्रोनिक वस्तुएं	54287.79
3	मशीनरी इलेक्ट्रीकल और गैर–इलेक्ट्रीकल	30084.26
4	सोना	34603.94
5	मोती, कीमती और अर्ध–कीमती पत्थर	18887.96
6	कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन	19825.23
7	कोयला, कोक और ब्रिकेट्स आदि	16276.25
8	कृत्रिम रेजिन, प्लास्टिक सामग्री आदि	13509.10
9	वनस्पति तेल	11088.09
10	अलौह धातुएं	11716.65
11	परिवहन उपकरण	17874.20
12	लौह और इस्पात	12051.02
13	रसायनिक सामग्री और उत्पाद	8441.21
14	औषध एवं भेषज उत्पाद	6973.64
15	व्यवसायिक यंत्र, आप्टिकल वस्तुएं आदि	4528.24
16	उर्वरक, कच्चा और विनिर्मित	7597.30
17	धात्विक अयस्क और अन्य खनिज	4626.08
18	लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	4449.65
19	मशीनी औज़ार	3169.59
20	रंगाई / चर्मशोधन / रंगाई संबंधी सामग्री	2733.89
21	फल और सब्ज़ियां	2273.42
22	टेक्सटाइल यार्न फेब्रिक, निर्मित वस्तुएं	1501.47
23	परियोजना वस्तुएं	1498.94
24	लुगदी और अपशिष्ट काग़ज़	851.10
25	दालें	1611.72
26	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	579.79
27	कपास, कच्चा और अपशिष्ट	385.85
28	अखबारी काग़ज़	294.09
29	सल्फर और अनरोस्टेड आयरन पाइराइट्स	149.74
30	चांदी	790.36
31	अन्य	18266.09
कच्चा पैट्रोलियम और उत्पाद और सोना, मोती, कीमती और अर्ध–कीमती पत्थरों को छोड़कर कुल आयात		**393610.56**

स्रोतः डीजीसीआई एवं एस, कोलकाता (अः अनंतिम)

अनुलग्नक–II

28 जुलाई, 2021 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 1492 के भाग (क) के उत्तर हेतु संदर्भित विवरण

2020–21 के दौरान भारत के शीर्ष 30 देश–वार आयात

क्र.सं.	देश	आयात का मूल्य (अमरीकी मिलियन डॉलर)
1	चीन	65,212.3
2	संयुक्त राज्य अमरीका	28,876.9
3	संयुक्त अरब अमीरात	26,624.5
4	स्वीटज़रलैंड	18,231.1
5	सऊदी अरब	16,186.8
6	हांगकांग	15,172.8
7	इराक	14,287.1
8	सिंगापुर	13,304.9
9	जर्मनी	13,064.5
10	कोरिया गणराज्य	12,772.9
11	इंडोनेशिया	12,470.9
12	जापान	10,924.7
13	मलेशिया	8,388.7
14	आस्ट्रेलिया	8,247.9
15	कतर	7,930.2
16	दक्षिण अफ्रीका	7,570.8
17	बेल्जियम	6,940.7
18	वियतनाम	6,120.7
19	थाईलैंड	5,682.3
20	नाइजीरिया	5,672.4
21	रूस	5,485.8
22	कुवैत	5,214.2
23	यू.के.	4,956.0
24	फ्रांस	4,175.4
25	ताईवान	4,036.8
26	इटली	3,849.1
27	नीदरलैंड	3,314.3
28	ओमान	3,087.9
29	ब्राज़ील	3,016.0
30	मेक्सिको	2,845.9
उपर्युक्त का कुल		**3,43,664.0**
% हिस्सा		**87.3**
भारत का कुल आयात		**3,93,610.6**

स्रोतः डीजीसीआई एवं एस, कोलकाता

भारत सरकार	**लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	**अतारांकित प्रश्न सं. 1529**

दिनांक 28 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात योजनाओं का दुरुपयोग

1529. श्रीमती रंजीता कोलीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को निर्यात योजनाओं और रियायतों के दुरुपयोग से संबंधित मामलों की जांच की प्रक्रिया में होने वाले अत्यधिक विलंब के बारे में पता है जिसके परिणामस्वरुप दोषी व्यक्तियों को समय पर दंडित नहीं किया जाता है और जांच प्रक्रिया पूरा करने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है जिससे जांच में अनुचित विलंब होता है;

(ख) क्या ऐसी जांच प्रक्रिया से संबंधित कार्य की समीक्षा की गई है; और

(ग) यदि हां. तो इसकी समीक्षा कब की गई थी और इसके परिणाम क्या रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

***

(क): निर्यात योजनाओं और रियायतों के दुरूपयोग के विरुद्ध कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है। जब कभी ऐसी निर्यात योजनाओं और रियायतों के दुरुपयोग का पता चलता है, तो फर्मों को अस्वीकृत इकाई सूची (डीईएल) में रखा जाता है और अधिनिर्णय की कार्यवाही शुरू की जाती है। निर्यात योजनाओं और रियायतों के दुरुपयोग की जांच उचित समय के भीतर पूरी कर ली जाती है यद्यपि ऐसे मामलों में जांच पूरी करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 22,099 फर्मों को डीईएल में रखा गया है और अधिनिर्णय के पश्चात 2,922 फर्मों पर जुर्माना लगाया गया है।

(ख) और (ग) जांच प्रक्रिया से संबंधित कार्यों की आवधिक समीक्षा की जाती है। 27.01.2021 को विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के क्षेत्रीय प्राधिकारियों को अधिनिर्णय की कार्यवाही को समय पर पूरा करने के लिए मॉडल दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी) ने एक सूचना साझेदारी प्रोटोकॉल (आईएसपी) जारी किया है जिसके अन्तर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), सीईआईबी, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) और अन्य जांच एजेंसियां वित्तीय अपराधों की जांच के लिए जानकारी साझा करती हैं जिसमें निर्यात योजनाओं और रियायतों का दुरुपयोग भी शामिल है।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1559

दिनांक 28 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

लद्दाख से निर्यात

1559 श्री जामयांग शेरिंग नामग्यालः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से अन्य देशों को निर्यात किए जा रहे उत्पादों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) भारतीय उद्योग में विभिन्न कृषि और बागवानी आधारित उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): 2020—21 के दौरान लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र से कुल 894 अमेरिकी डॉलर मूल्य का निर्यात किया गया था। लद्दाख से किए गए निर्यात के मूल्य का उत्पाद—वार विवरण इस प्रकार हैः

(मूल्य अमेरिकी डॉलर में)

क्रम सं.	मद / उत्पाद	निर्यात
1	अन्य वस्त्र	698
2	रेशम के शॉल, स्कार्फ, इत्यादि, अन्य	155
3	अन्य	41
	कुल निर्यात	**894**

स्रोतः डीजीसीआई एंड एस कोलकाता

(ख): कृषि और बागवानी उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं:

(i) बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन, (एमआईडीएच) 2014—15 से लागू की गई है जिसके अन्तर्गत फल, सब्जियां, मूल और कंद फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू और कोकोआ आते हैं। सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र एमआईडीएच के अंतर्गत आते हैं। इस स्कीम में उपज के बेहतर मूल्य की प्राप्ति के लिए फसल कटाई के बाद प्रबंधन (कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन के आधुनिकीकरण सहित) और विपणन के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

(ii) 2015—16 से क्रमशः घरेलू और निर्यात बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) नामक एक विशिष्ट स्कीम के माध्यम से देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही

है। यह योजना जैविक किसानों को शुरू से अंत तक अर्थात उत्पादन, प्रमाणन से लेकर विपणन तक सहायता देने पर जोर देती है। जैविक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए फसल कटाई के पश्चात् प्रबंधन सहायता जिसमें प्रसंस्करण, पैकिंग, विपणन भी शामिल है इस स्कीम का एक अभिन्न अंग है।

(iii) सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र संवर्धन और विकास के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम– प्रधान मंत्री किसान संपदा स्कीम (पीएमकेएसवाई) भी लागू कर रही है। यह मांग प्रेरित स्कीम है और इसमें कई उप–योजनाएं शामिल हैं जिनका मुख्य उद्देश्य फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करना और क्षेत्र में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए प्रसंस्करण की सीमा को बढ़ाना, कृषि से बाहर रोजगार का सृजन और किसानों को अधिक मूल्य की प्राप्ति करवाना है।

(iv) आत्मनिर्भर भारत पहल के एक भाग के रूप में, सरकार केंद्र प्रायोजित स्कीम–प्राइम मिनिस्टर फॉरमेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राईजेज स्कीम (पीएम एफएमई) को भी लागू कर रही है, जिसमें एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के दृष्टिकोण के आधार पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से 2 लाख माइक्रो–खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को अपग्रेड किया जा सकता है और सहायता दी जा सकती है।

(v) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए एक उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना भी वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियन के सृजन और घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लागू की जा रही है।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1582

दिनांक 28 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव

1582. श्रीमती सुमलता अम्बरीशः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत दो वर्षों में विनिर्माण क्षेत्र से होने वाले निर्यात पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव पर ध्यान दिया है;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अचानक लॉकडाउन और महामारी के कारण विनिर्माण क्षेत्र से होने वाले निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए हैं;
(ग) यदि हां, तो वित्त वर्ष 2019–20 और 2020–21 में विनिर्माण क्षेत्र से किए गए निर्यात का तिमाही–वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा निर्यात को जल्द से जल्द पुनर्जीवित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

***

(क) से (घ): अप्रैल–जून 2021 में भारत के व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है जो सभी वस्तु समूहों जैसे इंजीनियरिंग वस्तुओं, पेट्रोलियम उत्पादों, रत्न एवं आभूषण, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों, वस्त्रों और परिधानों, इलेक्ट्रोनिक सामानों, प्लास्टिक और लिनोलियम इत्यादि में अप्रैल–जून 2019 की तुलना में 17.90 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाते हुए 95.39 बिलियन अमरीकी डालर था। गत दो वर्षों में व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात से संबंधित मुख्य वस्तु समूह–वार आंकड़े **अनुलग्नक** पर दिए गए हैं।

निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ मुख्य कदम निम्नलिखित हैंः

1) दिसम्बर 2017 में विदेश व्यापार नीति (2015–20) की मध्यावधि समीक्षा की गई और सुधारात्मक उपाय किए गए।
2) कोविड–19 महामारी की स्थिति के कारण विदेश व्यापार नीति (2015–20) की वैधता 30.9.2021 तक बढ़ा दी गई है।
3) शिपमेंट से पहले और बाद में रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण योजना भी 30.09.2021 तक बढ़ायी गयी है।

4) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम शुरु की गई है और राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 01.01.2021 से शुरू की गई है।

5) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा एफटीए उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।

6) कृषि, बागवानी, पशुपालन, मात्स्यिकी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों से संबंधित कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु एक व्यापक ''कृषि निर्यात नीति'' का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

7) 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों के लिए विशिष्ट कार्य योजनाओं के लक्ष्य के द्वारा सेवा निर्यात को बढ़ावा देना और विविधीकरण करना।

8) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करने के द्वारा निर्यात हब के रुप में जिले को बढ़ावा देना, इन उत्पादों का निर्यात करने के लिए अड़चनों को दूर करना और जिले में रोज़गार पैदा करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करना।

9) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा देने हेतु विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।

10) कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में विविध राहत उपायों के माध्यम से, घरेलू उद्योग विशेष रुप से एमएसएमई, जिनका निर्यात में प्रमुख हिस्सा है, को सहायता देने के लिए पैकेज की घोषणा की गई है।

11) व्यापार अवसंरचना और विपणन को बढ़ावा देने के लिए निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम और परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए) स्कीम।

*****

अनुलग्नक

दिनांक 28 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 1582 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

विगत दो वर्षों के दौरान भारत का प्रमुख–वस्तु समूह–वार निर्यात

मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में

क्र. सं.	प्रमुख वस्तु समूह	2019-20	2020-21 (अ)
1	इंजीनियरिंग वस्तुएं	78704.38	76732.46
2	रत्न और आभूषण	35898.48	26019.82
3	पेट्रोलियम उत्पाद	41288.73	25784.07
4	औषध एवं भेषज	20703.46	24443.79
5	कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन	22082.78	22087.36
6	सभी वस्त्रों का आर.एम.जी	15488.06	12271.58
7	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	11700.57	11091.18
8	सूती धागा/कपड़ा/ मेडअप्स, हथकरधा उत्पाद आदि	10027.73	9823.97
9	चावल	6403.23	8818.62
10	प्लास्टिक और लिनोलियम	7551.55	7462.18
11	समुद्री उत्पाद	6722.06	5962.43
12	लौह अयस्क	2624.96	4896.55
13	मसाले	3621.37	3984.84
14	मानव निर्मित कृत्रिम धागा/कपड़ा/मेडअप्स आदि	4821.42	3805.19
15	अभ्रक, कोयला और अन्य अयस्क, प्रक्रिया सहित खनिज	3948.40	3780.98
16	मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद	3714.30	3657.56
17	चमड़ा और चमड़ा विनिर्माण	4658.48	3301.33
18	चीनी मिट्टी के उत्पाद और कांच के बने उत्पाद	2870.65	3048.21
19	फल और सब्ज़ियां	2380.48	2608.33
20	अनाज विनिर्मिति और विविध प्रसंस्कृत मद	1527.04	1856.86
21	हाथ से बने कालीन के अलावा हस्तशिल्प	1797.85	1707.21
22	खली	827.89	1575.55
23	कालीन	1373.30	1491.39
24	तिलहन	1318.06	1235.86
25	तंबाकू	905.16	876.58
26	चाय	826.53	756.24
27	कॉफ़ी	738.86	719.66
28	अन्य अनाज	205.20	694.72
29	काजू	566.82	420.43
30	फ्लोर कवरिंग सहित जूट विनिर्माण	342.61	371.32
31	अन्य	17720.60	19877.24
भारत का कुल निर्यात		**313361.04**	**291163.54**

स्रोतः– डीजीसीआईएण्डएस, कोलकाता (अः अनंतिम)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 1604

दिनांक 28 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

खिलौनों का आयात

1604. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खिलौनों/उपकरणों के आयात के संबंध में कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार चीन से आयातित वस्तुओं पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने और कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर जुर्माना लगाने के लिए विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): सस्ते और निम्न स्तरीय खिलौनों के आयात को नियंत्रित करने के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने अधिसूचना सं. 33/2015–2020 दिनांक 02.12.2019 के तहत प्रत्येक खेप से नमूना परीक्षण करने तथा तब तक बिक्री की कोई अनुमति न देने का अधिदेश दिया है जब तक कि यह गुणवत्ता परीक्षण में सफल नही होता। असफल पाए जाने पर खेप को या तो वापस भेजा जाता है या आयातक की लागत से नष्ट किया जाता है।

सरकार ने दिनांक 25/02/2020 को खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2020 भी जारी किया है जिसके तहत खिलौनों को दिनांक 01/01/2021 से अनिवार्य रुप से भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणन के अंतर्गत लाया गया है। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के अनुसार, प्रत्येक खिलौना संबंधित भारतीय मानक की आवश्यकताओं के अनुरुप होगा तथा बीआईएस (अनुरुपता आकलन) विनियमन 2018 की स्कीम–I के अनुसार उस पर बीआईएस से प्राप्त लाइसेंस के अंतर्गत मानक चिन्ह होगा। यह क्यूसीओ घरेलू विनिर्माताओं के साथ–साथ विदेशी विनिर्माताओं, जो भारत में अपने खिलौने निर्यात करना चाहते हैं, पर समान रुप से लागू होगा।

(ग) और (घ): भारत कोई देश विशिष्ट आयात प्रतिबंधों को नहीं रखता है सिवाए वैज्ञानिक और पर्यावरणीय चिंताओं, मानव, पशु और पौधों के स्वास्थ्य जैसे मामलों के। भारतीय उपभोक्ताओं की सुरक्षा हेतु पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं क्योंकि आयातित वस्तुएं घरेलू कानूनों, नियमों, आदेशों, विनियमों, तकनीकी विनिर्देशनों, पर्यावरणीय और सुरक्षा मानदंडों के अधीन हैं। कोई भी उल्लंघन विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत दण्डनीय है।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1383(H)
TO BE ANSWERED ON 28thJULY,2021

IMPACT OF CORONA ON TEA INDUSTRY

1383(H). SHRI NABA KUMAR SARANIA:

Will the Minister of **COMMERCE & INDUSTRY (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री)** be pleased to state the details of the effects of Covid pandemic on tea industry in Assam?

ANSWER

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(SMT. ANUPRIYA PATEL)

The impact of the Covid-19 pandemic has also been felt on the tea industry in India including Assam. The decline in tea production in Assam during 2020 is estimated to be at 98.29M.Kgs (13.72%), as compared to 2019. The loss of tea production brought down the oversupply situation in the market, which helped the sector through a rise in average price realization of made tea. The average tea auction price for Assam increased by Rs.46.63 per kg (28.60%) during 2020, over the preceding year. Thus, the decline in production was offset by the significant increase in auction prices. However, production of tea has improved in 2021, with an increase of 21.69 M.Kgs. (32.48%) for the period January 2021 to May 2021 as compared to the corresponding period of 2020.

The Government, through the Tea Board, is implementing the "Tea Development & Promotion Scheme" for providing financial assistance to the tea industry in the country. The scheme focuses on increasing productivity, quality, value addition, orthodox tea production, and formation of Self Help Groups &Farmer Producer Organisations. The Tea Board provided financial assistance of Rs.82.09 Crore to the Assam tea industry from April2020 till June 2021.

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1529(H)
TO BE ANSWERED ON 28th JULY,2021

MISUSE OF EXPORT SCHEMES

1529(H). SHRIMATI RANJEETA KOLI:

Will the Minister of **COMMERCE & INDUSTRY (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री)** be pleased to state:

(a) whether the Government is aware of the inordinate delay caused in the process of investigation into the matters related to misuse of export schemes and concessions as a result of which guilty persons are not punished on time and there is no time frame fixed for completing the investigation process which leads to undue delay in investigation;
(b) whether the work related to such investigation process has been reviewed; and
(c) if so, the time when it was reviewed along with the outcome thereof?

ANSWER

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(SMT. ANUPRIYA PATEL)

(a): Action against misuse of export schemes and concessions is a continuous process. Whenever such misuse is detected the firms are placed in Denied Entity List (DEL) and adjudication proceedings initiated. Investigations into such misuse are concluded within a reasonable time. During the last three financial years, 22,099 firms have been placed in DEL and penalties were imposed on 2,922 firms after adjudication.

(b) & (c): The work related to investigation process is reviewed periodically. Model guidelines to ensure timely completion of adjudication proceedings have been issued to Regional Authorities of the Directorate General of Foreign Trade (DGFT) on 27.01.2021. Further, the Central Economic Intelligence Bureau (CEIB) has issued an Information Sharing Protocol (ISP) under which the DGFT, CEIB, Directorate of Revenue Intelligence (DRI) & other investigative agencies share information to investigate fiscal offences which includes misuse of export schemes and concessions.

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1546(H)
TO BE ANSWERED ON 28th JULY,2021

AGRICULTURAL EXPORTS

1546(H). SHRI RAMESH CHANDER KAUSHIK:
SHRI DILIP SAIKIA:

Will the Minister of **COMMERCE & INDUSTRY (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री)** be pleased to state:

(a) whether export of agriculture and related products has been adversely affected due to the situation that arose from Corona pandemic;
(b) if so, the details thereof;
(c) whether the Government has formulated any action plan to tackle this situation; and
(d) if so, the details thereof?

ANSWER

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(SMT. ANUPRIYA PATEL)

(a) & (b): The export of agriculture and related products increased by 17.37% during 2020-2021, as compared to 2019-20, in spite of the disruptions caused due to the COVID-19 pandemic. Exceptional increase has been registered in the exports of Wheat (775.03%), Non Basmati Rice (136.30%), Vegetable Oils (254.94%), Other Cereals (238.57%), Oil Meals (90.31%) and Cotton (79.43%).

(c) & (d) : Department of Commerce took various steps to facilitate agricultural exports during the COVID-19 pandemic. The validity of various certifications/ accreditations was extended beyond their dates of expiry; control rooms were set up to resolve problems faced by exporters; Export Inspection Council and other boards/ authorities issued online certificates for exports; state governments and district administrations were contacted to resolve specific bottlenecks faced by the exporters; steps were taken to ensure functioning of testing laboratories, etc. As a result of these initiatives, India was able to tide over the disruptions caused by the pandemic and register a significant increase in export of agriculture and related products.

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1604(H)
TO BE ANSWERED ON 28th JULY,2021

IMPORT OF TOYS

1604(H). SHRI SUKHBIR SINGH JAUNAPURIA:

Will the Minister of **COMMERCE & INDUSTRY (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री)** be pleased to state:

(a) whether any criteria have been laid down regarding import of toys/equipments;
(b) if so, the details thereof;
(c) whether the Government proposes to make amendments in Foreign Trade (Development and Regulation) Act to put quantitative restrictions on the articles imported from China and to impose fine on traders violating laws; and
(d) if so, the details thereof?

ANSWER

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(SMT. ANUPRIYA PATEL)

(a) & (b): To control import of cheap and sub-standard toys, Directorate General of Foreign Trade (DGFT) vide Notification No.33/2015-2020 02.12.2019, has mandated sample testing from each consignment and no permission for sale unless the quality testing is successful. In case of failure, the consignment is either sent back or destroyed at the cost of the importer.

The Government has also issued Toys (Quality Control) Order, 2020 on 25/02/2020 through which toys have been brought under compulsory Bureau of Indian Standards (BIS) certification with effect from 01/01/2021. As per the Quality Control Order (QCO), every toy shall conform to the requirements of relevant Indian Standard and bear the Standard Mark under a licence from BIS as per Scheme-I of BIS (Conformity Assessment) Regulations, 2018. This QCO is equally applicable to domestic manufacturers as well as foreign manufacturers who intend to export their toys to India.

(c) & (d): India does not maintain any country specific import restrictions except for considerations like scientific, environmental concerns, health and life of humans, animal and plant. Adequate provisions exist to protect the Indian consumers as imported goods are subject to domestic laws, rules, orders, regulations, technical specifications, environmental and safety norms. Any violations are punishable under provisions of Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992.

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *138

<u>दिनांक 28 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

टीआरआईपीएस से छूट

***138. श्री असादुद्दीन ओवैसी :**
श्री सैयद इम्तियाज जलील :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरोना के लिए वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से भारत और अन्य विकासशील देशों ने कोविड संबंधी प्रौद्योगिकी, कच्चे माल और घटक पर व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों (ट्रिप्स) से संबंधित पहलुओं से छूट मांगी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या विश्व व्यापार संगठन ने भी विकासशील देशों की इस मांग का समर्थन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या हाल ही में प्रधान मंत्री ने जी-7 देशों को संबोधित किया और इस संबंध में समर्थन मांगा; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ट्रिप्स छूट की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर
<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'टीआरआईपीएस से छूट' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2021 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 138 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख) : दिनांक 2 अक्तूबर, 2020 को भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कोविड-19 के रोकथाम, उपचार और कंटेनमेंट के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलुओं (टीआरआईपीएस) के करार के कुछ प्रावधानों से छूट के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की टीआरआईपीएस परिषद को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव में पेटेंट, कापीराइट, औद्योगिक डिजाइन और व्यापार संबंधी गोपनीयताओं से संबंधित टीआरआईपीएस करार के कुछ प्रावधानों से, जहां तक वे कोविड-19 के चिकित्सा उत्पादों और प्रौद्योगिकियों की पहुंच में बाधा उत्पन्न करते हैं अस्थायी छूट की मांग की है।

(ग) : डब्ल्यूटीओ में छूट प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के अनुसरण में कुल 63 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के सह-प्रायोजक के रूप में ज्वाइन किया। कई अनेक देशों ने समर्थन का संकेत दिया है।

(घ) और (ड.) : जी-7 राष्ट्रों की हाल की बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री ने भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा डब्ल्यूटीओ में प्रस्तुत कोविड से संबंधित चिकित्सा उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के लिए टीआरआईपीएस से छूट प्रस्ताव के लिए उनके समर्थन की मांग की है। वर्तमान में, डब्ल्यूटीओ में टीआरआईपीएस से छूट प्रस्ताव पर पाठ आधारित विचार-विमर्श जारी है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1383

दिनांक 28 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

चाय उद्योग पर कोरोना का प्रभाव

1383. श्री नवकुमार सरनीया :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असम में चाय उद्योग पर कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रभावों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

कोविड-19 महामारी का प्रभाव असम सहित भारत के चाय बागान में महसूस किया गया है। असम में चाय उत्पादन में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में 98.29 मि.किग्रा. (13.72 प्रतिशत) की कमी अनुमानित की गई है। चाय उत्पादन में हानि से बाजार में अधिक आपूर्ति में कमी आई जिससे निर्मित चाय की औसत कीमत प्राप्ति में वृद्धि के माध्यम से क्षेत्र को सहायता मिली। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2020 के दौरान असम के लिए औसत चाय नीलामी कीमत में 46.63 प्रति किग्रा (28.60 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। अतः उत्पादन में गिरावट की भरपाई नीलामी कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि से हुई। तथापि, चाय उत्पादन में जनवरी, 2021 से मई, 2021 की अवधि में वर्ष 2020 की इसी अवधि की तुलना में 21.69 मि. किग्रा (32.48 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जिससे, वर्ष 2021 में सुधार हुआ।

देश में चाय उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार, चाय बोर्ड के माध्यम से 'चाय विकास एवं संवर्धन स्कीम' का कार्यान्वयन कर रही है। स्कीम में उत्पादकता, गुणवत्ता, मूल्यवर्धन, परंपरागत चाय का उत्पादन और स्व-सहायता समूह एवं किसान उत्पादक संगठनों के गठन पर फोकस किया है। चाय बोर्ड ने अप्रैल, 2020 से जून, 2021 तक असम चाय उद्योग को 82.09 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1393

दिनांक 28 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

समुद्री उत्पादों का आयात

1393. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोविड-19 महामारी के दौरान देश से समुद्री उत्पादों के संबंध में सरकार का दृष्टिकोण क्या है; और

(ख) जनवरी, 2020 से जनवरी, 2021 तक समुद्री उत्पादों के निर्यात पर कोविड-19 के प्रभाव का माह-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) : वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, भारत ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 6.67 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 10.81 प्रतिशत की कमी दर्ज करते हुए 5.96 बिलियन अमरीकी डॉलर के समुद्री खाद्य का निर्यात किया, यह कमी मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के कारण आई है।

महामारी के प्रभावों को कम करने के लिए, सरकार ने निर्यात सुविधा प्रमाणपत्रों का डिजिटलीकरण, पोरबंदर और भुवनेश्वर में दो नई गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना, एक्वा किसानों को निर्यातकों के साथ जोड़ने के लिए एक ऑनलाइन प्लटफार्म (ई-सांता) का आरंभ, समूची समुद्री खाद्य श्रृंखला के लिए कोविड-19 मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का विकास, लॉजिस्टिक क्लीयरेंस में किसानों और प्रोसेसरों को सहायता, विदेशों में कार्गो क्लीयरेंस की सुविधा जैसे विभिन्न उपाय किए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-2021 और 2021-22 के दौरान निर्यात संवर्धन, जलीय कृषि विकास, मूल्यवर्धन और गुणवत्ता नियंत्रण गतिविधियों के लिए 159.96 करोड़ रुपये का आबंटन किया है। इन उपायों ने समुद्री क्षेत्र की सकारात्मक रूप में सहायता की है और इस क्षेत्र का वर्ष 2021 में महत्वपूर्ण पुनरूद्धार हुआ है। वर्ष 2020 की इसी अवधि की तुलना में वर्ष 2021 के दौरान निर्यात आंकड़ों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

निर्यात निष्पादन मूल्य: (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)			
माह	**2020**	**2021**	**वृद्धि %**
जनवरी	427.41	412.67	-3.45
फरवरी	441.521.5	447.63	1.38
मार्च	368.27	569.28	54.58
अप्रैल	283.42	437.87	54.60
मई	430.57	533.00	23.79
जून	491.63	591.34	20.28

(ख) जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक समुद्री उत्पादों के निर्यात पर कोविड-19 के प्रभाव का माह-वार विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

समुद्री उत्पादों के मासिक निर्यात रुझान			
मूल्य: (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)			
	2019	**2020**	**वृद्धि %**
जनवरी	429.75	427.41	-0.54
फ़रवरी	421.78	441.521.5	4.68
मार्च	507.25	368.27	-27.40
अप्रैल	490.14	283.42	-42.18
मई	525.54	430.57	-18.07
जून	521.74	491.63	-5.77
जुलाई	605.33	467.53	-22.77
अगस्त	609.93	452.47	-25.82
सितंबर	644.86	624.26	-3.19
अक्टूबर	729.42	680.01	-6.77
नवंबर	689.65	556.96	-19.24
दिसंबर	624.88	549.85	-12.01
कुल	**6800.28**	**5773.90**	**-15.09**

	2020	**2021**	**वृद्धि %**
जनवरी	427.41	412.67	-3.45

******

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1392

दिनांक 28 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात संवर्धन मंच

1392. श्री पी.पी. चौधरी :

श्री रंजीतसिन्हा हिन्दूराव नाईक निम्बालकर :

श्री अर्जुन लाल मीणा :

श्री जयंत सिन्हा :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार निर्यात संवर्धन मंच का कार्यनिष्पादन क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों हेतु सकल घरेलू उत्पाद के किस प्रतिशत तक फलों तथा सब्जियों के मूल्य का उत्पादन तथा निर्यात हुआ; और

(ग) भारत के कुल उत्पादन और निर्यात के लिए प्रतिशत तक राजस्थान द्वारा फलों तथा सब्जियों के मूल्य का उत्पादन तथा निर्यात हुआ?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) : निर्यात संवर्धन गतिविधियों के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में पणधारकों की प्रतिभागिता को बढ़ावा देने के लिए, वाणिज्य विभाग ने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के तत्वावधान में अलग-अलग उत्पाद के लिए निर्यात संवर्धन मंचों (ईपीएफ) की स्थापना की है। ईपीएफ में व्यापार/उद्योग, संबंधित मंत्रालयों/विभागों, विनियामक एजेंसियों, अनुसंधान संस्थानों, राज्य सरकारों आदि का प्रतिनिधित्व है। चावल, केला, अंगूर, आम, प्याज, डेयरी उत्पादों, पौष्टिक अनाजों, अनार तथा पुष्पकृषि के लिए क्रमश: कुल 9 ईपीएफ गठित किए गए हैं।

एसपीएस/टीबीटी मुद्दों, बाजार पहुंच मुद्दों निर्यात संवर्धन योजनाओं और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों जैसे निर्यात को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए ईपीएफ की नियमित बैठकें आयोजित की जातीं हैं। ईपीएफ द्वारा की गई सिफारिशों को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जाता है।

ईपीएफ द्वारा किए गए प्रयासों ने वर्ष 2020-21 के दौरान, गैर-बासमती चावल (138.26 प्रतिशत), प्याज (16.75 प्रतिशत) और अंगूर (5.22 प्रतिशत), डेयरी उत्पाद (7.84 प्रतिशत) और केला (9 प्रतिशत) जैसे उत्पादों के निर्यात में वृद्धि में योगदान दिया है।

(ख) : विगत पांच वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में उत्पादित तथा निर्यात किए गए फलों और सब्जियों की मात्रा का विवरण निम्नानुसार है :

करोड़ रुपये में

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
मौजूदा कीमतों पर जीडीपी*	1,37,71,874	1,53,91,669	1,70,90,642	1,88,86,957	2,03,51,013
वर्तमान कीमतों पर फलों और सब्जियों के उत्पादन का मूल्य*	4,81,405	5,10,407	5,88,077	6,02,929	7,54,761
फलों और सब्जियों का निर्यात**	14,893	16,452	16,203	17,754	16,917
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में फलों और सब्जियों का उत्पादन (%)	3.50	3.32	3.44	3.19	3.71
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में फलों और सब्जियों का निर्यात (%)	0.11	0.11	0.09	0.09	0.08

* स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय/राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2021

** स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

(ग) : भारत में फलों और सब्जियों के कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में, राजस्थान द्वारा उत्पादित फलों और सब्जियों के प्रतिशत का विवरण निम्नानुसार है :-

						उत्पादन '000 एमटी में
		2016-17	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21 (दूसरा अग्रिम अनुमान)**
फल	राजस्थान	995.60	761.95	968.45	1015.79	975.17
	सम्पूर्ण भारत	92918.04	96447.00	97966.66	102079.85	102763.66
	प्रतिशत	1.07	0.79	0.99	1.00	0.95
सब्जियां	राजस्थान	1795.37	1675.29	1652.62	1910.38	2119.66
	सम्पूर्ण भारत	178172.41	184040.79	183169.61	188283.83	196268.43
	प्रतिशत	1.01	0.91	0.90	1.01	1.08

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

भारत द्वारा फल और सब्जियों के कुल निर्यात के प्रतिशत के रूप में, राजस्थान द्वारा निर्यात किए गए फलों और सब्जियों के प्रतिशत का विवरण निम्नानुसार है :-

मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
भारत का कुल निर्यात	2454.72	2513.33	2540.90	2380.48	2608.33
राजस्थान द्वारा निर्यात	6.04	6.07	8.80	5.95	8.20
भारत के कुल निर्यात के प्रतिशत के रूप में राजस्थान का निर्यात (%)	0.25	0.24	0.35	0.25	0.31

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

[नोट: डीजीसीआई एवं एस द्वारा अनुरक्षित राज्य-वार आंकड़ों की कुछ सीमाएं हैं क्योंकि यह निर्यातकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित होते हैं ।

****

भारत सरकार	**लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	**अतारांकित प्रश्न सं.1452**
वाणिज्य विभाग	

दिनांक 28 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

ब्लॉक-चेन प्रौद्योगिकी

1452. श्री श्रीधर कोटागिरी :

श्री अदला प्रभाकर रेड्डी :

श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी :

श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण :

डॉ. संजीव कुमार शिंगरी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एपीडा कृषि क्षेत्र में निर्यात के लिए आपूर्ति श्रृंखला क्षेत्र में ब्लॉक-चेन आधारित प्रौद्योगिकियों को लागू करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निर्यात उद्योग में किसी आपूर्ति श्रृंखला में कोई प्रायोगिक परियोजना लागू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) : जी, हां। वर्तमान में एपीडा अपनी वेब-आधारित अनुमार्गणीयता प्रणाली में ब्लॉक-चेन कार्यान्वयन का परीक्षण कर रहा है।

(ग) और (घ) : एपीडा ने नेक्स्ट-जेनरेशन ब्लॉक चेन और क्लाउड माइग्रेशन अनेबल्ड ग्रेपनेट सिस्टम को अपनाया है, जो भारत से यूरोपियन यूनियन को निर्यातित ताजे अंगूरों के लिए वेब-आधारित प्रमाणन और अनुमार्गणीयता प्रणाली है। यह ब्लॉक चेन एकीकरण, अंगूर के बगीचे से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक खेपों की संपूर्ण जानकारी को ट्रैक करने में सहायक होगा। यह प्रणाली इसमें शामिल सभी प्रक्रियाओं का एक रिकॉर्ड रखेगी, जो अंगूरों की प्रामाणिकता और गुणवत्ता के सत्यापन के लिए श्रृंखला के अंत में अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ताओं द्वारा ट्रेस की जा सकती है। यह निर्यात मूल्य श्रृंखला में सभी हितधारकों के लिए एक संरक्षित, मापनीय और लागत प्रभावी इंटरफेस सुनिश्चित करेगी।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1470

दिनांक 28 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

सेवा क्षेत्र क्रियाकलाप

1470. श्री रवनीत सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाल के महीनों में सेवा क्षेत्र के क्रियाकलापों में तीव्र गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विनिर्माण क्रियाकलाप में भी कमी आई है और फर्म नियमित रूप से कर्मचारियों की संख्या घटा रही है तथा जून, 2021 में सबसे तीव्र गिरावट दर दर्ज की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार देश में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए देश में व्यावसायिक क्रियाकलापों में सुधार करने के लिए कोई उपाय कर रही है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) : सेवा क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) ने वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में 1.5 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है। सेवा क्षेत्र में संकुचन मुख्यत: कोविड-19 महामारी कारण हुआ।

(ग) : मई, 2021 माह के दौरान औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के उपलब्ध नवीनतम त्वरित अनुमानों के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र के लिए सूचकांक 113.5 था। विनिर्माण क्षेत्र ने मई 2020 की तुलना में मई, 2021 में 34.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

(घ) और (ड.) : सरकार देश में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय कर रही है। इनमें से कुछ उपाय निम्नानुसार हैं :-

- स्टार्ट-अप इंडिया, व्यवसाय सुधार कार्य योजना, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति और क्षेत्रीय स्कीमों/कार्यक्रमों जैसी पहलों के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उपाय करना।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति और प्रक्रियाओं का सरलीकरण और प्रगतिशील उदारीकरण करना।
- देश में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) में सुधार करना। इससे विश्व बैंक की ईओडीबी रिपोर्ट के अनुसार रैंकिंग में 2014 में 142 से सुधार होकर वर्ष 2020 में रैंकिंग 63 हो गई।
- 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन के एक भाग के रूप में और विनिर्माण क्षमताओं में बढ़ोतरी के लिए प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी पहल (पीएलआई) स्कीमों के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा की गई है।
- दिनांक 16.09.2020 को सार्वजनिक अधिप्रापण में मेड-इन-इंडिया के अधिकतम उपयोग और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सार्वजनिक अधिप्रापण (मेक-इन-इंडिया को प्राथमिकता) आदेश को संशोधित किया गया है।
- विश्व स्तरीय विनिर्माण सुविधाओं और भावी औद्योगिक शहरों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम (एनआईसीपी) का आरंभ किया गया है।
- दिनांक 01.01.2021 से विनिर्माण की प्रक्रिया में और निर्यातित उत्पादों के वितरण में वर्तमान में वापस नहीं किए गए केंद्रीय, राज्य और स्थानीय करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति के लिए आरओडी टीईपी (निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट) नामक एक नई स्कीम लागू की गई है।
- सेवा क्षेत्र में व्यवसाय गतिविधियों में सुधार करने के लिए कोविड प्रभावित क्षेत्रों जिसमें स्वास्थ्य एवं पर्यटन शामिल हैं, के लिए ऋण गारंटी स्कीम, एक बार वीजा जारी करना आरंभ होने के बाद 5 लाख पर्यटकों को एक-माह के लिए पर्यटक वीज़ा, टूरिस्ट गाइड और अन्य हितधारकों को वित्तीय सहायता जैसे उपाय किए गए हैं।
- संरचनात्मक सुधार जैसे रक्षा और अंतरिक्ष सेक्टर में उच्च विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा विभिन्न अंतरिक्ष संबंधी सेवाओं के लिए निजी क्षेत्रों को समान अवसर प्रदान करना, दूर-संचार के तहत अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) दिशानिर्देश का सरलीकरण किया गया है।
- इन क्षेत्रों के लिए अभिज्ञात नोडल मंत्रालयों/विभागों की क्षेत्रीय पहलों को सहायता देने के लिए अभिज्ञात चैंपियन सेवा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सेवाओं में 'चैंपियन क्षेत्रों की कार्ययोजना' तैयार करना।

****

भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.1477**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 28 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

आपूर्ति श्रृंखला

1477. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:
श्री नारणभाई काछड़िया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को विश्व में आपूर्ति श्रृंखला बढ़ाने या कोरोना महामारी के बाद निर्यात करने के कई अवसर मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो किन देशों के साथ हमारे वाणिज्यिक संबंधों में वृद्धि होने की संभावना है;

(ग) इस महामारी के बाद किन उत्पादों का अधिक निर्यात होने वाला है; और

(घ) क्या गुजरात के निर्यातक भी इस अवसर का लाभ उठाने जा रहे हैं?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ) : विश्वसनीय और पर्याप्त आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने घरेलू विनिर्माणों के सुदृढ़ीकरण और अनेक व्यापार साझेदारों के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने सहित, अनेक कदम उठाए हैं। यह गतिशील विश्व में परिवर्तनशील आवश्यकताओं पर आधारित एक अनवरत प्रक्रिया है। मौजूदा व्यापार करार अधिमानी शर्तों पर घरेलू विनिर्माण क्षेत्र के लिए बाधारहित आपूर्तियां सुनिश्चित करते हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ मौजूदा करारों की समीक्षा आरंभ की गई है। इसके अलावा, अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं आरंभ की गई हैं। हमने भारत-पैसेफिक क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला की लोचशीलता में वृद्धि करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ आपूर्ति श्रृंखला लोचशीलता पहल (एससीआरआई) में प्रवेश किया है।

गुजरात सहित, पूरे देश में वस्तु समूहों जैसे इंजीनियरिंग वस्तुओं, पेट्रोलियम उत्पादों, रत्न एवं आभूषणों, जैविक और अजैविक रसायनों, वस्त्र और परिधान, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, प्लास्टिक एवं लिनोलियम इत्यादि में अप्रैल-जून, 2021 में भारत के पण्य वस्तु निर्यातों में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई जो अप्रैल-जून, 2021 में 95.39 बिलियन अमरीकी डॉलर थी जिसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 85.88 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई और अप्रैल-जून, 2019 की तुलना में 17.90 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि हुई।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1500

दिनांक 28 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

एस.एच.जी. के लिए विपणन और निर्यात सहायता

1500. श्री जी. रणजीत रेड्डी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की जानकारी में तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के इरकोडे गांव के स्व-सहायता समूह (एस.एच.जी.) की महिलाओं द्वारा यद्यपि कम मात्रा में मांसाहारी अचार, स्नैक्स, तला हुआ चिकन आदि तैयार और निर्यात करने का मामला आया है;

(ख) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि ये उत्पाद तेजी से बिक रहे है और मध्य पूर्व, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि को भी निर्यात किए जा रहे हैं; और

(ग) मंत्रालय देश और दुनिया के अन्य भागों में सिद्दीपेट के मांसाहारी अचार आदि के विपणन और निर्यात के लिए क्या मदद/सहायता प्रदान करेगा?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के इरकोडे गांव में स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाओं ने इरकोडे महिला समाक्या खाद्य नामक संयुक्त देयता समूह का गठन किया है। उन्होंने जिले और राज्य के भीतर गैर-शाकाहारी अचार और स्नैक्स तैयार किए हैं और बेचे हैं।

(ग) : कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) निम्नलिखित तीन घटकों के तहत अपने पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है :-

1. निर्यात अवसंरचना विकास
2. गुणवत्ता विकास
3. बाजार विकास

स्कीमों का विवरण एपीडा की वेबसाइट www.apeda.gov.in पर उपलब्ध है।

तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में इरकोडे गांव से एसएचजी महिलाएं एपीडा के साथ एक निर्यातक के रूप पंजीकृत नहीं हैं।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **1598**

<u>दिनांक 28, जुलाई, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

कृषि निर्यात क्षेत्र

1598 श्री जगदंबिका पाल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि निर्यात क्षेत्र की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार ने किसी पूर्व में इस योजना को कार्यान्वित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कार्यान्वयन का अनुभव कैसा रहा हैं;

(ग) क्या सरकार ने किसी क्षेत्र को कृषि निर्यात क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कोई अर्हता, शर्तें तय की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने किसी क्षेत्र को संभावित कृषि निर्यात क्षेत्र के रूप में चिन्हित करने तथा उसे अवसंरचनात्मक और संभार तंत्र जरूरतों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए विशेष ध्यान देने हेतु कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क एवं ख) : कृषि निर्यात क्षेत्र (एईजेड) की अवधारणा को निकटस्थ क्षेत्रों से उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने और संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में गतिविधियों के एकीकरण के लिए आद्योपान्त दृष्टिकोण को अपनाने के लिए सन् 2001 में शुरू किया गया था। सरकार द्वारा 60 एईजेड अधिसूचित किए गए थे जिनकी समयावधि अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष थी। उनका विवरण अनुबंध-I पर देखा जा सकता है। 2005 में एक पीअर ग्रुप समीक्षा की सिफारिशों के आधार पर किसी नए एईजेड के अनुमोदन पर विचार किसी सुदृढ बाध्यकारी कारण के बिना नहीं करने का निश्चय किया गया। सरकार ने 2005 के बाद कोई नया एईजेड अधिसूचित नहीं किया है और सभी अधिसूचित एईजेड ने 5 साल की अपनी निर्धारित समयावधि पूरी कर ली है।

(ग और घ) : वर्तमान में कोई एईजेड अस्तित्व में नहीं है। तथापि, सरकार द्वारा लाई गई कृषि निर्यात नीति (एईपी) 2018 का उद्देश्य राज्य और जिला स्तर पर कृषि निर्यात को बढ़ावा देना है। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी); कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत क्लस्टर विकास; और वाणिज्य विभाग की निर्यात हब के रूप में जिला स्कीम जैसी कई स्कीमें शुरू की हैं जिनका उद्देश्य जिला स्तर पर कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के गुणवत्ता उत्पादन और निर्यात के लिए बुनियादी ढांचे और संभारतंत्र आवश्यकताओं के लिए सहायता प्रदान करना है।

****

अनुबंध-I

20 राज्यों में अधिसूचित 60 कृषि निर्यात क्षेत्रों की सूची

राज्य	क्रमांक	एईजेड परियोजना	जिले
असम (1)	01	ताजी और संसाधित अदरक	कामरूप , नलबाड़ी , बारपेटा , दरांग , नागांव , मोरीगांव , कार्बी आंगलोंग और उत्तरी कछार जिले।
तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश (5)	02	मैंगो पल्प और फ्रेश ताजी सब्जियाँ।	चितूर जिला।
	03	आम और अंगूर	रंगा रेड्डी , मेडक जिले और महबूबनगर जिले के कुछ भाग।
	04	आम	कृषा जिला।
	05	खीरा	महबूबनगर , रंगारेड्डी , करीमनगर , वारंगल, मेडक अनंतपुर और नलगोंडा जिले।
	06	मिर्च	गुंटूर
बिहार (1)	07	लीची , सब्जियां और शहद	मुजफ्फरपुर , समस्तीपुर , हाजीपुर , वैशाली , पूर्व और पश्चिम चंपारण , भागलपुर, बेगुलसराय , खगड़िया , सीतामढ़ी ,सारण और गोपालगंज .
गुजरात (3)	08	आम और सब्जियां	अहमदाबाद , खड़िया , आनंद , वडोदरा , सूरत , नवसारी , वलसाढ, भरूच और नर्मदा जिले ।
	09	मूल्य वर्धित प्याज	भावनगर, सुरेंद्रनगर , अमरेली , राजकोट, जूनागढ़ और जामनगर जिले ।
	10	तिल के बीज	अमरेली , भाव-नगर , सुरेंद्र-नगर , राजकोट, जामनगर जिले
हिमाचल प्रदेश (1)	1 1	सेब	शिमला , सिरमौर , कुल्लू , मंडी , चंबा और किन्नौर जिले ।
कर्नाटक (4)	12	खीरा	तुमकुर , शहरी बैंगलोर, ग्रामीण बैंगलोर, हासन, कोलार , चित्रदुर्ग , धारवाड़ और बागलकोट जिले ।
	13	रोज ऑनियन	बैंगलोर शहरी बैंगलोर (ग्रामीण), कोलार
	14	पुष्प	बैंगलोर (शहरी) बैंगलोर (ग्रामीण), कोलार , तुमकुर , कोडागु और बेलगाम
	15	वनीला	दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, उडुपी , शिमोगा , कोडागु , चिकमगलूर जिले ।
जम्मू और कश्मीर (2)	16	सेब	श्रीनगर, बारामुला , अनंतनाग , कुपवाड़ा , बडगाम और पुलवामा जिले ।
	17	अखरोट	बारामूला , अनंतनाग , पुलवामा , बडगाम , कुपवाड़ा और श्रीनगर। जम्मू क्षेत्र , डोडा , पुंछ , उधमपुर , राजौरी और कठुआ ।
झारखंड (1)	18	सब्जियां	रांची, हजारीबाग और लोहरदगा जिले ।
केरल (2)	19	बागवानी उत्पाद	त्रिशूर , कोल्लम , एर्नाकुलम , कोट्टायम, आलप्पुझा, पथानम थिट्टा , थिरूअनंतपुरम इडुक्की और पालक्कड जिले
	20	औषधीय पौधा	वायनाड , मल्लापुरम , पलक्कड़ , त्रिशूर , एर्नाकुलम , इडुक्की , कोल्लम , पठान-मिठा , थिरूअनंतपुरम
मध्य प्रदेश (5)	21	आलू प्याज लहसुन	मालवा , उज्जैन, इंदौर, देवास , धार , शाजाजपुर , रतलाम , नीमच और मंदसौर ।
	22	सीड स्पाइसेस	गुना , मंदसौर , उज्जैन, राजगढ़ , रतलाम , शाजापुर और नीमच जिले ।
	23	गेहूं (दुरम)	**तीन अलग और निकटस्थ क्षेत्र :-** उज्जैन क्षेत्र जिसमें नीमच , रतलाम , मंदसौर और उज्जैन शामिल हैं इंदौर जोन जिसमें इंदौर, धार , शाजापुर और देवास शामिल हैं भोपाल डिवीजन मंडल, जिसमें सीहोर , विदिशा , रायसेन , होशंगाबाद , हरदा , नरसिंहपुर और भोपाल शामिल हैं।
	24	दाल और चना	शिवपुरी , गुना , विदिशा , रायसेन , नरसिंहपुरा , छिंदवाड़ा ।
	25	संतरे	छिंदवाड़ा , होशंगाबाद बैतूल ।

राज्य	क्रमांक	एईजेड परियोजना	जिले
महाराष्ट्र (8)	26	अंगूर और अंगूर की शराब	नासिक, सांघली , पुणे , सतारा , अहमदनगर और शोलापुर जिले।
	27	आम (अल्फांसो)	रत्नागिरी , सिंधुदुर्ग , रायगढ़ और ठाणे जिले।
	28	केसर आम	औरंगाबाद, बीड , जालना , अहमदनगर और लातूर जिले।
	29	पुष्प	पुणे , नासिक, कोल्हापुर और सांगली।
	30	प्याज	नासिक, अहमदनगर , पुणे सतारा , जलगांव और सोलापुर जिले।
	31	अनार	सोलापुर , सांगली , अहमदनगर , पुणे नासिक, लातूर , उस्मानाबाद जिले।
	32	केला	जलगांव , धुले , नंदुरबार , बुलढाणा , वर्धा , परभणी , हिंडोली , नांदेड़।
	33	संतरे	नागपुर और अमरावती।
उड़ीसा (1)	34	अदरक और हल्दी	कंधमाल जिला।
पंजाब (3)	35	सब्जियां	फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर , रोपड़ और लुधियाना।
	36	आलू	सिंहपुरा जिराकपुर (पटियाला) रामपुराफुल , मुक्तसर , लुधियाना, जलंधर।
	37	बासमती चावल	गुरदासपुर ,अमृतसर, कपूरथाला , जालंधर , होशियारपुर और नवांशहर जिले)
राजस्थान (2)	38	धनिया	कोटा, बूंदी , बारां , झालावाड़ और चितूर
	39	जीरा	नागौर , बाड़मेर , जालोर , पाली और जोधपुर
सिक्किम (2)	40	पुष्प (ऑर्किड) और चेरी काली मिर्च	पूर्वी सिक्किम।
	41	अदरक	उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम सिक्किम।
त्रिपुरा (1)	42	कार्बनिक अनानास	कुमारघाट , मनु, मेलाघर, माताबारी, और कक्राबान ब्लाक।
तमिलनाडु (4)	43	फूल	धर्मपुरी।
	44	पुष्प	नीलगिरि जिला।
	45	आम	मदुरै, थेनी , डिंडीगुल , विरुधुनगर और तिरुनेलवेली जिले।
	46	*काजू*	कुड्डालोर , तंजावुर , पुदुकोट्टई और शिवगंगा।
उत्तर प्रदेश (4)	47	आलू	आगरा, हाथरस , फर्रुखाबाद , कन्नोज , मेरठ, बागपत और अलीगढ़।
	48	आम और सब्जियां	लखनऊ , उन्नाव , हर्दो , सीतापुर और बाराबंकी।
	49	आम	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर , बिजनौर , मेरठ, भागपत और बुलंदशहर।
	50	बासमती चावल	बरेली, शाहजहांपुर , पीलीभीत ,रामपुर, बदायूं , बिजनौर ,मुरादाबाद, जेबी फुलेनगर ,सहारनपुर, मुजफ्फरनगर ,मेरठ, बुलंदशहर ,गाजियाबाद जिले।
उत्तराखंड (4)	51	लीची	उधमसिंह नगर, देहरादून और नैनीताल।
	52	पुष्प	देहरादून और पंतनगर जिले।
	53	बासमती चावल	उधम सिंह नगर, नैनीताल , देहरादून और हरिद्वार जिले।
	54	औषधीय और सुगंधित पौधे	उत्तरकाशी , चमोली , पिथौरागढ़ , देहरादून और नैनीताल जिले।
पश्चिम बंगाल (6)	55	लीची	मुर्शिदाबाद मालदा , 24 परगना (एन) और 24 परगना (एस) जिले।
	56	आलू	हुगली , बर्दवान , मिदनापुर (डब्ल्यू) उदय नारायनपुर और हावड़ा जिले
	57	आम	मालदा और मुर्शिदाबाद
	58	सब्जियां	नादिया, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना।
	59	दार्जिलिंग चाय	दार्जिलिंग।
	60	अनन्नास	दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर , कूचबिहार और जलपाईगुड़ी।

******

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **1605**

<u>दिनांक 28, जुलाई, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

रबर अधिनियम

1605 श्री थोमस चाज़िकाडन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ अधिनियम 1947 में संशोधन/निरसन करने का कोई प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने रबर अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर रबर बोर्ड, रबर उत्पादकों के प्रतिनिधियों, रबर उद्योग के प्रतिनिधियों और अन्य इच्छुक पक्षों की राय प्राप्त की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान रबर बोर्ड को नए वृक्षारोपण, पुनर्रोपण आदि कार्यों के लिए दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की राजसहायता में कटौती कर इसके बजट आबंटन में कमी करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि रबर उत्पादकों में उपर्युक्त कारकों को लेकर बहुत चिंता है और यदि हां, तो सरकार द्वारा उनकी शिकायतों के निवारण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): रबर अधिनियम, 1947 का निरसन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, रबर अधिनियम, 1947 के प्रावधानों को वर्तमान वास्तविकताओं के अनुरूप लाने के लिए, रबर बोर्ड ने रबर अधिनियम, 1947, में अधिनियम के सम्पूर्ण भारत में लागू होने , जीएसटी में शामिल होने के कारण रबर पर उपकर से संबंधित धाराओं का निरसन करने जैसे मुद्दों पर कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया है ।

(ग): 05.11.2019 को आयोजित रबड़ बोर्ड की 179 वीं बैठक में इन संशोधनों पर चर्चा की गई और सिफारिश की गई, जिसमें रबर क्षेत्र के हितधारक संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष आमंत्रितों ने भी भाग लिया।

(घ) तथा (ड.): बीई के तहत वर्ष 2020-21 के लिए रबर बोर्ड का बजट आवंटन 221.34 करोड़ रूपये और आरई चरण में 187.69 करोड़ रूपये था। वर्ष 2021-22 के लिए रबर बोर्ड के लिए आवंटन 190 करोड़ रूपये हैं। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र के लाभ के लिए 'प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र का संधारणीय और समावेशी विकास' योजना को आगे के लिए जारी रखा जा रहा है।

*****